बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

वर्ष 2018-19 के लाभांश के चैक जिसे बेलॉप में 9 सितंबर 2019 को बीईएल को सौंपा गया, के साथ निदेशकगण

बाएँ से दाएँ - श्री महेश वी, निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप, श्री एलेक्ज़ाण्डर कोशी, निदेशक (वित्त), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप, श्री एम वी गौतमा, सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष, बेलॉप, श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप, श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप तथा श्रीमती प्रिया अय्यर, सीएस तथा सीएफओ, बेलॉप।

दिनांक 17 फरवरी, 2020 को बेलॉप में फ्रांस के कॉन्सूल जनराले का दौरा

बाएँ से दाएँ - श्री नितिन आरे, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), बेलॉप, श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप, कर्नल (डीजीए) हर्व मनीर, उप रक्षा अताशे, फ्रांस, श्रीमती सोनिया बार्बरी, कॉन्सूल जनराले, फ्रांस, श्री राघव नायर, प्रतिनिधि, मे. फोटोनिस, फ्रांस तथा श्री अनिल दीक्षित, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (उत्पादन), बेलॉप ।

दस वर्षों के वित्तीय आंकड़े

(रु. मिलियन में)

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल आय	534	702	1578	1843	1242	1087	1312	1246	1204	569
कर पश्चात लाभ	45	82	58	50	37	24	48	116	142	30
इक्विटी पूँजी	183	183	183	183	183	378	592	663	722	839
प्रारक्षण एवं अधिशेष	173	255	312	362	398	676	1014	1219	1398	1514
कार्यशील पूँजी	299	881	272	(185)	(322)	(86)	35	221	120	204
नियोजित पूँजी	366	942	347	37	573	745	892	1024	869	871
निवल मालियत	356	438	495	545	581	1055	1597	1868	2120	2353

ध्येय

इमेज इंटेन्सीफायरों तथा अन्य चुने हुए क्षेत्रों में ग्राहक केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचलित कंपनी बनना

यथा 23 जुलाई, 2020 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड का निदेशक मंडल

क) श्री एम वी गौतम	अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल
ख) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक	निदेशक (विपणन), बीईएल
ग) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक	निदेशक (वित्त), बीईएल
घ) श्री महेश वी	निदेशक	निदेशक (आर एंड डी), बीईएल

यथा 23 जुलाई, 2020 को प्रधान कार्यपालक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	सुश्री प्रिया अय्यर	श्री पार्थानंद सरकार

बैंकर

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. एक्सिस बैंक लि.

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक	सचिवीय लेखा परीक्षक	लागत लेखाकार
मे. नाटू एंड पाठक	श्री अभिजीत दाखवे	मे. जोशी आप्टे एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पुणे	कंपनी सचिव, पुणे	लागत लेखाकार, पुणे

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल, प्रधान कार्यपालक, बैंकर और लेखा परीक्षक	1
2.	विगत वित्तीय आंकड़े	2
3.	अध्यक्ष का पत्र	3
4.	मंडल का रिपोर्ट	5
	क) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (*अनुलग्नक 1*)	12
	ख) कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (*अनुलग्नक 2*)	16
	ग) सीएसआर कार्यों पर रिपोर्ट (*अनुलग्नक 3*)	22
	घ) निर्वहनीयता रिपोर्ट (*अनुलग्नक 4*)	25
	ङ) वार्षिक विवरणी का सार – फार्म सं. एमजीटी-9 (*अनुलग्नक 5*)	26
	च) ऊर्जा संरक्षण आदि पर रिपोर्ट (*अनुलग्नक 6*)	31
	छ) सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (*अनुलग्नक 7*)	32
	ज) फार्म ए.ओ.सी. - II (*अनुलग्नक 8*)	34
5.	वित्तीय विवरण	
	क) तुलन-पत्र	36
	ख) लाभ व हानि का विवरण	37
	ग) नकदी प्राप्ति विवरण	38
	घ) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	40
	ङ) उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	41
	च) लेखों की टिप्पणियाँ (टिप्पणी सं 1 से टिप्पणी सं. 39)	50
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	81
7.	सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	88

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय शेयरधारक,

मुझे पिछले वर्ष के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें तथा कंपनी की भावी दृष्टि प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता होती है।

वर्ष **2019-20** की झलकियाँ

वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 3721 लाख का कारोबार किया। 2019-20 के दौरान, कंपनी ने रु. 301 लाख का निवल लाभ दर्ज किया। निम्नतर कारोबार और लाभ का मुख्य कारण ग्राहकों से आदेश प्राप्त न होना है। कंपनी की निवल मालियत यथा 31.03.2020 को रु. 23528 लाख तक बढ़ी और 11.00% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो मुख्य रूप से लाभ के बढ़ने तथा रु. 2833 लाख के अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने (प्रीमियम मूल्य सहित) के कारण है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2019-20 के लिए 30% के पी.ए.टी. के लाभांश की सिफारिश की है जो रु. 91 लाख बनता है।

अन्य उपलब्धियाँ -

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय करने के लिए अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ किए जाने वाले एमओयू के संबंध में, वर्ष 2018-19 के लिए "अति उत्तम" की रेटिंग प्रदान की गई है।

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2019-20 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग।

[आईसीआरए]एए+ की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है। ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं।

अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का डी एंड ई विभाग उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्माणी एवं परीक्षण उपस्करों के कोटि उन्नयन का विकास कार्य आगे बढ़ाने और निष्पादन करने के लिए कार्य कर रहा है।

- अनु. व वि. की टीम ने विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए नामत: मौजूदा डिज़ाइन में एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के अप्रचलन से बचने के लिए वैकल्पिक डिज़ाइन से ऑटो गेटेड पावर सप्लाई यूनिट का थोक निर्माण करना, शीतलित थर्मल इमेजर अनुप्रयोगों के लिए इमेज इंटेन्सीफायर प्रणाली (परा बैंगनी संवेदनशील) की डिज़ाइन तथा देवार असेंबली की डिज़ाइन।

उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण, कंपनी ने अतिरिक्त उत्पादों की पहचान करने / कंपनी के विद्यमान उत्पादों की बाज़ार की संभावना में सुधार करने की ओर प्रगति की है। कंपनी निर्माण और आपूर्ति में बेहतर उत्पाद गुणता तथा अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों का कोटि उन्नत करने की भी प्रक्रिया में कार्यरत है।

कंपनी अपनी सक्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए नए उत्पाद विकसित करने के भी प्रयास कर रही है।

भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम अवस्था में है और इन्वर्टिंग तथा गैर-इन्वर्टिंग विन्यास के एक्सआर-5 श्रेणी के आई.आई.ट्यूब पहले ही प्रायोगिक उत्पादन के तहत है ।

बेलॉप कारोबारी अवसरों में सुधार करने तथा अपने उत्पादों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने की भी योजना बना रही है।

2020-21 में कार्य-निष्पादन

यथा 30.06.2020 को आपकी कंपनी की आदेश बही रु. 6.96 करोड़ की है। बहरहाल, कंपनी वर्ष के दौरान और अधिक आदेश प्राप्त होने और उन्हें कार्यान्वित करने की आशा करती है और इसे वर्ष 2020-21 में लगभग रु. 70 करोड़ की बिक्री करने की अपेक्षा है।

अभिशासन एवं निर्वहनीयता

आपकी कंपनी कार्पोरेट अभिशासन में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करती है। सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट मंडल के रिपोर्ट में दी गई है।

आभार

मैं निदेशक मंडल द्वारा दिए गए समर्थन और मार्ग-दर्शन के लिए उनका आभारी हूँ। मैं धारक कंपनी, अपने ग्राहकों और कारोबारी सहयोगियों द्वारा दिए गए समर्थन की प्रशंसा करता हूँ। सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी कंपनी की मुख्य शक्ति बनी हुई है। हम भावी चुनौतियों का सामना करने और लाभप्रद विकास की गति बनाए रखने के लिए इन शक्तियों को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,
-हस्त.-
(एम वी गौतमा)
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 10 अगस्त, 2020

मंडल का रिपोर्ट

सदस्यों के लिए,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष कंपनी की **30वीं वार्षिक रिपोर्ट** पेश करते हुए खुशी हो रही है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ इस अवधि के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय मैट्रिक्स में कंपनी के कार्य-निष्पादन को रेखांकित किया गया है।

1. वित्तीय झलकियाँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 3721 लाख का विक्रयावर्त (सकल) हासिल किया और रु. 301 लाख का लाभ अर्जित किया और रु. 37 लाख की कुल व्यापक आय अर्जित की।

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है –

रु. लाख में

विवरण	2019-2020	2018-2019
कुल आय	5690	12042
मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर से पहले लाभ	2606	4376
वित्त लागतें	264	409
मूल्यह्रास	2127	2101
कर पूर्व लाभ	215	1866
कराधान के लिए प्रावधान	(86)	448
वर्ष का लाभ	301	1418
कुल व्यापक आय	37	1327

2. लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2019-20 के लिए 30% के पी.ए.टी. के लाभांश की सिफारिश की है जो रु. 0.91 करोड़ बनता है।

3. आदेश बही की स्थिति

यथा 01.04.2019 को कंपनी की आदेश की स्थिति रु. 3.74 करोड़ की तुलना में यथा 01.04.2020 को रु. 4.45 करोड़ थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 36.80 करोड़ के आदेश प्राप्त किए।

4. भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम अवस्था में है।

बेलॉप कारोबारी अवसरों में सुधार करने तथा अपने उत्पादों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने की भी योजना बना रही है।

5. वित्त

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने वृद्धिशील कार्यशील पूँजी तथा अवसंरचना के कोटि उन्नयन तथा पूँजीगत उपस्करों पर अतिरिक्त निवेश की ओर निधि संबंधी आवश्यकताएँ मुख्य रूप से आंतरिक संसाधनों से और शेष अपने संघीय बैंकों से कार्यशील पूँजी का उधार लेते हुए पूरी की। नकदी प्राप्तियों की गहन निगरानी तथा प्रभावी नकद प्रबंधन के माध्यम से उधार को कम किया गया। बीईएल भी इक्विटी लाते हुए और ऋण द्वारा एक्सआर-5 परियोजना की लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2019-20 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग।

[आईसीआरए]एए+ की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं । दोनों ही रेटिंग 29 दिसंबर 2020 तक वैध हैं । इन रेटिंग से कंपनी को संघीय बैंकों से प्राप्त की जा रही विभिन्न कार्यशील पूँजी सुविधाओं को बेहतर शर्तों में प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

7. अनुसंधान एवं विकास (अनु. व वि.)

निर्माणी विभागों के अनुभवी कार्यपालकों के साथ मिलकर कंपनी का डी एंड ई विभाग उत्पाद, प्रक्रिया तथा निर्माणी एवं जाँच उपस्करों के कोटि उन्नयन की ओर अनेक विकास कार्य की पहल कर रहा है ।

वर्ष के दौरान, अनु. व वि. टीम ने नीचे रेखांकित विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए –

- मौजूदा डिज़ाइन में एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के अप्रचलन से बचने के लिए वैकल्पिक डिज़ाइन से ऑटो गेटेड पावर सप्लाई यूनिट का थोक निर्माण करना,
- इमेज इंटेन्सीफायर प्रणाली (परा बैंगनी संवेदनशील) की डिज़ाइन । इस प्रणाली के रणनीतिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हैं,
- शीतलित थर्मल इमेजर अनुप्रयोगों के लिए देवार असेंबली की डिज़ाइन ।
- उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण, कंपनी ने अतिरिक्त उत्पादों की पहचान करने / कंपनी के विद्यमान उत्पादों की बाज़ार की संभावना में सुधार करने की ओर प्रगति की है। कंपनी निर्माण और आपूर्ति में बेहतर उत्पाद गुणता तथा अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों का कोटि उन्नत करने की भी प्रक्रिया में कार्यरत है।

कंपनी अपनी सक्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए नए उत्पाद विकसित करने के भी प्रयास कर रही है।

8. सरकार के साथ एम.ओ.यू.

बेलॉप अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करती आ है और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष की कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय किए जाते हैं। आपके निदेशकों को यह सूचित करने हुए प्रसन्नता होती है कि वर्ष (2018-19) के लिए कंपनी के कार्य-निष्पादन को **'अत्युत्तम'** रेटिंग प्रदान की गई है । डीपीई के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2019-20 की एमओयू रेटिंग का मूल्यांकन धारक कंपनी द्वारा वर्ष की तीसरी तिमाही में किया जाएगा।

9. मानव संसाधन

31 मार्च 2020 को आपकी कंपनी में 134 कार्मिक नियोजित थे और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनमें से 36 कार्यपालक और 5 महिला कर्मचारी हैं । वर्ष के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की गई। वर्ष के दौरान एक कर्मचारी ने सेवा त्याग किया और एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई।

10. औद्योगिक संबंध

गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 1 अप्रैल 2017 से देय है। सीपीएसई में गैर-कार्यपालकों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्ता वेतन पुनरीक्षण वार्ताकार समिति और कामगार यूनियन के बीच प्रगति में है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे।

11. पर्यावरण प्रबंधन

बेलॉप परिसरों के आसपास स्वच्छ परिवेश और हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखती है । कंपनी सख्त प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार, शून्य निस्सारी उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, हानिकारक तथा अपशिष्ट के अन्य रूपों के प्रणालीबद्ध प्रबंधन तथा निपटान के उपाय भी करती है ।

मंडल के रिपोर्ट के ***अनुलग्नक-4*** में निर्वहनीयता रिपोर्ट में पर्यावरण प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है।

12. संरक्षा

कंपनी में अपने कार्मिकों, संयंत्र और मशीनरी की संरक्षा के लिए एक संरचित व्यवस्था है । संरक्षा समिति नियमित आधार पर संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और संरक्षा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए -

- आईएस: 14489-1998 के अनुसार संरक्षा लेखा परीक्षा।
- अग्नि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनिट-II में अग्निशमन यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, मैनुअल कॉल प्वाइंट और फायर अलार्म हूटर की खरीद और संस्थापना।
- बिजली की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग पिट की संस्थापना। - 04 नग
- अग्नि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईएस: 2190:2010 के अनुसार एचपीटी और अग्निशमन यंत्रों की भराई – 39 नग
- उत्पादन क्षेत्रों में लगभग 100 वर्ग मीटर की ईएसडी फ्लोरिंग का प्रावधान।
- सभी संरक्षा उपकरणों की आवधिक जाँच, कर्मचारियों को पीपीई का वितरण।
- कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण।

13. गुणता

कंपनी ने क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 तथा ईएमएस आईएसओ 14001:2015 मानकों के आधार पर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली शुरु की । कंपनी ने जनवरी 2019 में मे. टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया (प्रा.) लि., पुणे से क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 तथा ईएमएस आईएसओ 14001:2015 मानकों के आधार पर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणीकरण कराया।

14. सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीईएल द्वारा वर्ष 2012-13 से बेलॉप के एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई । सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद, ठेकों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच-पड़ताल करता है । कोई भी कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन-देन के बारे में जाँच-पड़ताल कराने हेतु सतर्कता अधिकारी को सूचित कर सकते हैं ।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा । कंपनी के सभी कार्यपालकों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी (ए.पी.आर.) आज्ञापक तारीख से पहले दाखिल की और 40% ए.पी.आर. की छानबीन की गई और उन्हें ठीक पाया गया । सतर्कता के मानदंडों के अनुसार पी.ओ. के विवरण बेलॉप की वेबसाइट में जनवरी 2020 से प्रदर्शित किए गए। वर्ष के दौरान 51 नियमित और 25 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। बीईएल-सी.ओ.-सतर्कता द्वारा सतर्कता की आईएसओ लेखा परीक्षा की गई। इस अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 मनाया गया। जाँच-पड़ताल के तहत कोई मामला लंबित नहीं है ।

15. निष्ठा संधि

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रापण संबंधी कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेकों में निष्ठा संधि प्रारंभ करने की पहल की है । रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान बेलॉप ने रु. 300 लाख और इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों / ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं के साथ एक निष्ठा संधि की है । निष्ठा संधि वाले रु. 1 करोड़ से अधिक मूल्य के दो आदेशों की समीक्षा की गई और उनकी रिपोर्ट सी.ओ.-सतर्कता को की गई।

16. आर.टी.आई. अधिनियम का कार्यान्वयन

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यथा निर्दिष्ट, कुछेक कार्यपालकों को जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी मनोनीत किया है । वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ और निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना प्रदान की गई।

17. निदेशालय

श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर और श्री महेश वी को 9 सितंबर, 2019 को आयोजित कंपनी की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 और संस्था के अंतर्नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, श्रीमती आनंदी रामलिंगम चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के कारण पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव रखती हैं।

18. मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान मंडल की सात बैठकें आयोजित हुईं जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग बनते हैं ।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशालय तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में परिवर्तन के विवरण नीचे दिए गए हैं -

क्र.सं.	निदेशक / केएमपी का नाम	पदनाम	नियुक्ति/ कार्यमुक्ति की तारीख	टिप्पणी
1	श्री महेश बी	निदेशक	05.07.2019 को नियुक्त	बीईएल द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार प्रारंभिक रूप से अपर निदेशक नियुक्त। उन्हें दिनांक 09.09.2019 को हुई 29वीं एजीएम में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया।

19. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जहाँ तक आपके निदेशकों की जानकारी और विश्वास है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के परिप्रेक्ष्य में आपके निदेशक निम्नलिखित वक्तव्य देते हैं-

क) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण प्रकटणों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है ;

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को अपनाया और उन्हें स्थिरतापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हैं और वित्तीय वर्ष के अंत पर कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी अवधि के लिए कंपनी के लाभ पर उचित और न्यायसंगत दृष्टि प्रदान करते हैं ;

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है ;

घ) कि निदेशकों ने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

ङ) कि सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ विद्यमान और समुचित हैं और वे प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं;

च) कि सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, समुचित हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

20. उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों, न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसा कोई उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो लाभप्रद और सक्रिय कारोबार की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करेगा ।

21. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो 31 मार्च, 2020 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुए हैं, कुछ नहीं हैं ।

22. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के तारतम्य में, वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स नाटू एंड पाठक, सनदी लेखाकार पुणे को नियुक्त किया है । वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई ।

23. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का "समीक्षा-इतर प्रमाण-पत्र" इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

24. सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए श्री अभिजीत दाखवे, पेशेवर कंपनी सचिव को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। श्री अभिजीत दाखवे द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक 7** में दी गई है।

बेलॉप कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपाय करेगी।

25. लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के साथ पढ़ा जाना है, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपनी निर्माणी गतिविधियों के संबंध में रखे गए लागत लेखा परीक्षा संबंधी अभिलेखों की लागत लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने हेतु, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार मे. जोशी आप्टे एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को लागत लेखा परीक्ष नियुक्त किया है। उनका पारिश्रमिक शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

26. लेखा परीक्षा समिति का संघटन

लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है -

1) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	अध्यक्ष
2) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
3) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	सदस्य
4) श्री महेश वी (05.07.2019 से प्रभावी)	सदस्य

27. संबंधित पक्षकार के लेनदेन

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हित का संभावित संघर्ष हो । संबंधित पक्षकार के लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, स्वतंत्र व निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए । संबंधित पक्षकार के सभी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और साथ ही मंडल के समक्ष अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, हेतु रखे गए हैं । सदस्यगण संबंधित पक्षकारों के लेनदेन के विवरण के लिए लेखों की टिप्पणियां देखें।

28. ऋण / गारंटियाँ / निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों, निवेशों के विवरण 'कुछ नहीं' हैं ।

29. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार, फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी एतद्वारा *अनुलग्नक 5* में दी गई है।

30. पारिश्रमिक नीति

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति का मसौदा तैयार किया है । इसके विवरण *अनुलग्नक 2* में कार्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दिए गए हैं ।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं । आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

32. लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई।

33. लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

34. प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों (डीपीई) के अनुसार प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ *अनुलग्नक 1* में दी गई है।

35. कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 2** में दी गई है।

36. जोखिम प्रबंधन

जोखिमों से निपटने के लिए किए गए उपाय कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

37. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, यह संस्तुति की गई है कि कंपनी सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करेगी और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत खर्च सीएसआर पहलों पर करेगी।

कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8 के तारतम्य में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट, **अनुलग्नक 3** में दी गई है।

38. निर्वहनीयता रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "निर्वहनीय विकास" पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित, "निर्वहनीय विकास" पर कंपनी के प्रयासों पर एक अलग अध्याय इस रिपोर्ट, **अनुलग्नक 4** में दी गई है।

39. कर्मचारियों के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं थे जो वित्तीय वर्ष पर्यंत नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक रु. 60 लाख प्रति वर्ष से अधिक था या जो वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक रु. 5 लाख प्रति माह से अधिक था।

40. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटण

कंपनी में महिलाओं और पुरुषों, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और लगातार एक ऐसी संस्कृति तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिसमें सभी कर्मचारियों का सम्मान किया जाए। कंपनी ने यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वर्ष के दौरान कंपनी ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण)" पर संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया।

41. अन्य प्रकटण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम), जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना, जो ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित है, **अनुलग्नक 6** में दी गई है।

42. आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ और परा सैन्य बलों और साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन की सराहना करते हैं और भविष्य में उनके सतत् समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करते हैं । आपके निदेशक बेलॉप में टीओटी के कार्यान्वयन के लिए मे. फोटोनिस द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की भी सराहना करते हैं और भविष्य में सार्थक सहयोग जारी रहने की आशा करते हैं । आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा मंडल के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों, सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी के बैंकर और विक्रेताओं के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों की सराहना करते हैं जिसके कारण आपकी कंपनी वर्ष के दौरान अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी । आपके निदेशक धारक कंपनी, मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं और आगामी वर्षों में कंपनी की निर्वहनीय प्रगति में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की आशा करते हैं ।

मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

-हस्त-

एम वी गौतमा

अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 23 जुलाई 2020

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक **1**

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क) उद्योग की संरचना और विकास, शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ, सुअवसर एवं जोखिम तथा निर्वहनीय कार्य-निष्पादन तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए किए गए और योजित प्रमुख पहल

(क) अर्थव्यवस्था, उद्योग की सामान्य जानकारी जिसमें कंपनी कार्य करती है, बाजार की दशाएँ तथा ये कंपनी पर कैसे प्रभाव डालती हैं, कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

अक्तूबर 2019 के वर्ल्ड एकॉनामिक आउटलुक (डबल्यू.ई.ओ.) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2019-20 में भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव, संरक्षणवाद आदि जैसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए, वैश्विक उत्पादन की विकास दर धीमी होने का अनुमान है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा फरवरी, 2020 में जारी दूसरे अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 के 6.1% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल, पिछले पाँच वर्षों में भारत की समष्टि अर्थव्यस्था स्थिर बनी हुई है लेकिन भारत के वित्तीय क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौती के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बना हुआ है।

देश में एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ.पी.आई.) के माध्यम से अधिक पूँजी प्राप्ति के कारण भुगतान के शेष में सुधार हुआ है जिसके कारण विदेशी मुद्रा प्रारक्षण में बढ़ोत्तरी हुई है (मार्च 2019 के अंत में 302 बिलियन यूएसडी से 10 जनवरी, 2020 में 461.2 बिलियन यूएसडी) । चालू लेखा कमी (सी.ए.डी.) कम हो रही है जिसके कारण बाहरी ऋणग्रस्तता कम हो रही है और स्वतंत्र देशी नीति बनाई जा रही है।

संक्रामक नोवेल कोरोना वायरस (कोविद-19) के कारण आए अभूतपूर्व और अप्रत्याशित संकट ने पूरी दुनिया की मानव जाति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बहरहाल, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविद-19 का वास्तविक प्रभाव परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में देखने को मिलेगा।

महामारी कोविद-19 जिसकी शुरआत चीन से हुई, ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) एस डबल्यू ओ टी विश्लेषण

❖ शक्तियाँ –

- उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का स्वदेशी निर्माण करने के लिए अत्युन्नत प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता ।
- दो दशकों से अधिक का अनुभव जिससे इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों के क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान और मुख्य सक्षमताएँ प्राप्त हुईं।
- आई.आई. ट्यूबों के निर्वहनीय निर्माण के लिए कच्चे माल और घटकों की आपूर्ति के लिए संस्थापित विक्रेता आधार ।
- ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं, निर्माण और परीक्षण अवसंरचना के निरंतर कोटि उन्नयन के लिए मज़बूत डी एंड ई और परियोजना टीम ।
- ग्राहकों को दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के कारण मज़बूत ग्राहक समर्थन।
- कार्य की अच्छी पद्धतियाँ।
- आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)
- ईएमएस आईएसओ 14001: 2015से प्रमाणित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

♣ कमज़ोरियाँ –

- विविधीकृत उत्पाद श्रृंखला की कमी, एकल उत्पाद पर निर्भरता।
- प्रमुख कच्चा माल और घटक (आर एम तथा सी) देश में उपलब्ध नहीं । आरएम तथा सी के लिए आयात प्रतिस्थापन की आपूर्ति करने के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित करने हेतु अधिक तकनीकी प्रयासों की ज़रूरत।

♣ सुअवसर –

- बढ़ती रक्षा और सुरक्षा ज़रूरतें
- अधिक रक्षा एवं देश की आंतरिक सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम 8-10 वर्षों के लिए उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का संभावित बाज़ार।
- रक्षा उपस्करों के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया पर सरकार द्वारा दिया गया ज़ोर।
- केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर

♣ जोखिम –

- निजी कंपनियों से बढ़ती स्पर्धा
- प्रयोक्ता विभाग द्वारा इमेज की गुणता संबंधी आवश्यकता स्पष्ट न किए जाने के कारण, पुन:सज्जित आई.आई. ट्यूब का प्रयोग करते हुए या कम इमेज गुणता वाले आई.आई. ट्यूबों का प्रयोग करते हुए स्पर्धा द्वारा एनवीडी की कम कीमत लगाना।
- रात्रि दर्शी प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन।
- निजी क्षेत्र के अनुकूल नीतियों का बनाया जाना।

(ग) निर्वहनीय कार्य-निष्पादन एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहल

क) प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन एवं अनु. व वि.

बेलॉप ने दिसंबर 2014 से अपने ग्राहकों के लिए गहन विनिर्माण के माध्यम से एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों की आपूर्ति शुरु की है । कंपनी संस्थागत अनु. व वि. के माध्यम से अपनी निर्माणी तथा परीक्षण अवसंरचना की कोटि उन्नत करने के प्रयास भी कर रही है। भारतीय थलसेना द्वारा अधिक बेहतर कार्य-निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है । एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के तहत है।

कंपनी ग्राहक के आदेश प्राप्त न होने / देरी से प्राप्त होने की अवधि के दौरान बिक्री बढ़ाने / स्थायी व्यय उपगत होने के जोखिम को कम करने के लिए संबद्ध / नए उत्पादों में विविधीकरण करने के सुनियोजित प्रयास भी कर रही है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती तथा स्वदेशीकरण पर किए गए विशिष्ट उपाय

क) जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक संस्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद, विपणन, मानव संसाधन, वित्त तथा अन्य प्रचालनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों के अभिचिह्नन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और उपचार का ढांचा तैयार किया गया है । कंपनी में जोखिमों के सतत् अभिचिह्नन, कोटि उन्नयन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और प्रबंधन के लिए एक 'व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा' मौजूद है । इस ढांचे के अंतर्गत शीर्षस्थ स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बेलॉप) करते हैं और विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन एवं इंजीनियरी, वित्त और मा.सं. जैसे महत्वपूर्ण कार्यशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं ।

जोखिम चैम्पियन (आरसी) वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर समग्र रूप से कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को तिमाही रिपोर्ट पेश करती है। कंपनी आरएम की स्थिति के बारे में मंडल को वार्षिक रूप से सूचित करती है।

कुछेक जोखिम जिन्हें पहचाना गया है, को उचित जोखिम प्रशमन प्रक्रियाएँ शुरु करते हुए निपटा जा रहा है। इसी तरह, किसी प्रमुख प्रबंधकीय निर्णय के मामले में, जोखिम के कारकों को उचित निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाता है।

ख) लागत कटौती और स्वदेशीकरण

कंपनी के लागत कटौती के कार्यकलापों में निर्माणी और निर्माणेत्तर दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और उनमें उत्पादन, प्रशासन, वित्त, सेवाएँ आदि जैसे कारोबार के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कंपनी ने निर्माणी और उप-ठेका के क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है और इसके फलस्वरूप लागत में कटौती हुई है।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो उसके आकार तथा प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप है। इन्हें इस प्रकार तैयार किया गया है कि विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रचालनात्मक सूचना दर्ज और प्रदान करने, लागू संविधियों का अनुपालन करने, अप्राधिकृत इस्तेमाल या हानियों से परिसंपत्तियों की रक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने तथा समय-समय पर जारी कंपनी की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से उपाय किए जा सकें।

वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा की टीम द्वारा की गई।

आपकी कंपनी में एक लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के प्रेक्षण पेश करती है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है ताकि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, पर्याप्तता और कंपनी द्वारा अनुसरित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता सहित, वित्तीय विवरणों पर उनके विचार जानने के साथ-साथ, उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके वार्षिक रिपोर्ट में की जाती है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते बेलॉप की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी लेखा परीक्षा भी की जाती है।

ग) वित्तीय / प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

<u>क. रणनीति एवं उद्देश्य</u>

कंपनी की वित्तीय रणनीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) कम से कम उधार लेने और फलस्वरूप कम से कम ब्याज लागत के लिए प्रभावी नकदी प्राप्ति प्रबंधन द्वारा निधियाँ उपलब्ध कराना।
(ii) आवश्यकता पड़ने पर किफायती दरों में निधि जुटाने में सक्षम बनने के लिए अल्प काल में सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना।
(iii) कर योजना प्रभावी ढंग से करना ताकि कर के बाद की प्राप्ति में सुधार हो।
(iv) विभिन्न पणधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना।
(v) आज्ञापक लेखा मानकों का अनुसरण करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के उच्चतम मानकों को बनाए रखना।

प्रत्येक सूचीबद्ध उद्देश्य को बेलॉप द्वारा लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने बाहरी उधार का आश्रय लिए बिना, आंतरिक संसाधनों से कार्यशील पूँजी का ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने तथा पूँजीगत व्यय का वित्त-पोषण करने का प्रयास किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने धारक कंपनी से प्राप्त कार्यशील पूँजीगत ऋण के एक हिस्से का आंशिक चुकतान भी किया।

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 बेलॉप

2. कार्य-निष्पादन की झलकियाँ

विवरण	2019-20	2018-19
सकल विक्रय	3721	10325
वित्त लागतों से पहले कुल व्यय	5211	9767
वित्त लागत व कर पूर्व लाभ	479	2275
प्रचालनीय मार्जिन (पीबीआईटी/सकल विक्रय) अनुपात %	12.87	22.03
कर पश्चात् लाभ	301	1327
वस्तुसूची के दिनों की सं. / उत्पादन का मूल्य (डीपीई विधि)	311	111
दिनों की सं. – व्यापार से प्राप्त/ आवर्त	7	29
चालू अनुपात	1.35	1.14
ऋण साम्या अनुपात	0.42	6.10

3. 2019-20 के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण

- विक्रयावर्त (निवल) जो 2018-19 में रु. 10325 लाख था, 63.96% घटकर 2019-20 में रु. 3721 लाख हुआ।
- उत्पादन का मूल्य जो 2018-19 में रु. 9728 लाख था, रु. 4774 लाख घटकर 2019-20 में रु. 4954 लाख हुआ।
- पी.ए.टी. जो 2018-19 में रु. 1418 लाख था, 78.77% घटकर 2019-20 में रु. 301 लाख हुआ।
- 2019-20 में पी.ए.टी. से विक्रयावर्त (निवल) का अनुपात 8.09% है।
- प्रति कर्मचारी विक्रयावर्त (निवल) जो 2018-19 में रु. 75 लाख था, 62.66% घटकर 2019-20 में रु. 28 लाख हुआ।
- प्रति शेयर अर्जन रु. 3.99 है।
- निवल मालियत जो 2018-19 में रु. 21196 लाख थी, 11% तक बढ़कर 2019-20 में रु. 23528 लाख हुई।

घ) मानव संसाधन विकास

कंपनी ने कुल 255 श्रम दिवसों के लिए तकनीकी और गुणता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जो प्रति कर्मचारी औसतन 1.88 श्रमदिवस परिकलित होता है।

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

बेलॉप के कार्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, समुचित प्रकटण, विधिक अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हित संघर्ष का निवारण करने के सिद्धांतों पर आधारित है । बेलॉप ग्राहक तुष्टिकरण, वित्तीय दूरदर्शिता एवं मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता में विश्वास करती है । हमारी कार्पोरेट संरचना, कारोबार तथा प्रकटण की पद्धतियाँ हमारे कार्पोरेट अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप हैं ।

निदेशक मंडल

संघटन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, बेलॉप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है और एक 'सरकारी कंपनी' है।

वर्तमान में, निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित चार निदेशक हैं । बीईएल के मंडल के अध्यक्ष ही मंडल तथा बेलॉप के अध्यक्ष हैं । चारों निदेशक (बेलॉप के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार) बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं ।

निदेशक मंडल का संघटन नीचे दिया गया है –

क) श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप
ख) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
ग) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
घ) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	निदेशक (मा.सं.), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
ङ) श्री महेश वी (05.07.2019 से)	निदेशक (अनु. व वि.) बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप

बैठकें एवं उपस्थिति

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, मंडल की सात बैठकें आयोजित की गईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल 93 दिनों का था । मंडल की बैठकें दिनांक 21.05.2019, 26.07.2019, 21.08.2019, 09.09.2019, 25.10.2019, 27.01.2020 और 20.03.2020 को आयोजित की गईं । 2019-20 के दौरान मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा धारित अन्य कंपनियों में निदेशक के ओहदे / समिति की सदस्यता की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

क्र.सं.	निदेशक	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	मंडल की बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए	**9 सितंबर, 2017** को हुई पिछली एजीएम में उपस्थिति	धारित अन्य निदेशक पद	* सभी कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या	
	अंशकालिक निदेशक					अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
1	श्री एम वी गौतमा	7	7	हाँ	1	कोई नहीं	कोई नहीं
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	7	7	हाँ	2	0	2
3	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	7	7	हाँ	3	2	1
4	श्री आर एन बग्दलकर	1	1	नहीं	1	0	1
5	श्री महेश वी	6	5	हाँ	1	0	2

•केवल लेखा परीक्षा समिति तथा पणधारकों की संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।

आचार संहिता

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई के दिशा-निर्देश) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है । मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2019-20 के दौरान इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है । इस आशय की एक घोषणा जो अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का संघटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्टानुसार तीन निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में शामिल होते हैं। कंपनी सचिव इस लेखा परीक्षा समिति के सचिव हैं। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष दिनांक 9 सितंबर, 2019 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हुए। लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथा विनिर्दिष्ट तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं -

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटण का पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सूचना सही, समुचित और विश्वसनीय हैं
- तिमाही लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना
- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की संस्तुति करना
- वित्तीय तथा प्रचालनीय कार्य-निष्पादन पर प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना
- कंपनी की प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तथा सरकार और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना
- कंपनी के मुख्य वित्तीय जोखिम उद्भासनों तथा ऐसे उद्भासनों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षाओं में देखी गई उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, की गई सिफारिशों और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना
- संबंधित पक्षकार के ऐसे लेन-देन तथा उन पर किए गए अनुवर्ती संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करना
- अंतर-कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की छानबीन करना
- जहाँ आवश्यक हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की छ: बैठकें दिनांक 21.05.2019, 26.07.2019, 09.09.2019, 25.10.2019, 27.01.2020 और 20.03.2020 को हुईं।

लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है -

1) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	अध्यक्ष
2) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
3) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	सदस्य
4) श्री महेश वी (05.07.2019 से प्रभावी)	सदस्य

उक्त बैठकों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उपस्थिति के विवरण नीचे दिए गए हैं -

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	6	6
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	6	6
श्री आर एन बग्दलकर	1	1
श्री महेश वी	5	4

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिमों की निरंतर पहचान करने, अद्यतन करने, मूल्यांकन करने, उनकी प्राथमिकता तय करने और प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक 'जोखिम प्रबंधन ढांचा' व्यवस्थित है। इस ढांचे के तहत, शीर्षस्त स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित है जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बेलॉप) द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन और इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों से होते हैं। जोखिम चैम्पियन (आरसी) वरिष्ठ उ.म.प्र. स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर संपूर्ण कंपनी में जोखिम प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी तिमाही आधार पर प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करती है । कंपनी आरएम की स्थिति की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर मंडल को करती है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	अध्यक्ष**
2) श्री महेश वी (05.07.2019 से)	अध्यक्ष ***
3) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
4) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	सदस्य

31.05.2019 तक अध्यक्ष, * 05.07.2019 से अध्यक्ष

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, एनआरसी समिति की बैठक चार बार यानी दिनांक 21.05.2019, 26.07.2019, 25.10.2019 और 27.01.2020 को हुई।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री आर एन बग्दलकर	1	1
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	4	4
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	4	4
श्री महेश वी	3	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कुछेक कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों /मार्गदर्शी बातों के अनुसार मंडल को नीति की सिफारिश करना।
- वेतन संबंधी सभी मामलों की सिफारिश मंडल को करना।

पारिश्रमिक समिति

क) निदेशकों का पारिश्रमिक

बेलॉप जब कभी आवश्यक हो, निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित करेगी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संप्रेषित, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में होंगे ।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक

बेलॉप मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक तय करते समय निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करेगी -

(i) कंपनी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(ii) निर्धारित पारिश्रमिक का स्तर और संघटन औचित्यपूर्ण और समुचित होगा ताकि कंपनी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कर्मचारियों को आकृष्ट, प्रतिधारित और प्रेरित किया जा सके ।

(iii) पारिश्रमिक का स्तर इस प्रकार होगा कि कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के बीच स्पष्ट संबंध हो।

(iv) पारिश्रमिक में नियत वेतन और प्रोत्साहन वेतन उस न्यायिक अनुपात में शामिल होगा जो कंपनी के कामकाज के अनुकूल हो और कंपनी को उसके अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो।

निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक अदा नहीं करती है। कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए स्टॉक का विकल्प नहीं दिया है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तारतम्य में, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) के विचारणीय विषय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं –

क) मंडल को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर उसकी सिफारिश करना जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्टानुसार कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप दर्शित किए गए हों।

ख) खंड 'क' में संदर्भित कार्यकलापों को करने पर उपगत होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना

ग) कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष
2) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	सदस्य
3) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	सदस्य
4) श्री महेश वी (05.07.2019 से)	सदस्य

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की बैठकें चार बार यानी दिनांक 21.05.2019, 26.07.2019, 25.10.2019 और 27.01.2020 को हुई।

बैठकों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री आर एन बग्दलकर	1	1
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	4	4
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	4	4
श्री महेश वी	3	2

विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों के विवरण **अनुलग्नक 3** में दिए गए हैं।

निदेशकों का शेयरधारण

यथा 31.03.2020 को कंपनी के कोई भी निदेशक कंपनी का इक्विटी शेयर धारित नहीं करते।

अन्य मंडल की उप-समितियाँ

आपके निदेशकों ने मंडल की निम्नलिखित उप-समितियाँ गठित की हैं -

निवेश समिति जिसमें अल्पकालीन अधिशेष निधियों के निवेश को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, दो निदेशक, सीईओ तथा वित्त प्रमुख शामिल होते हैं।

संबंधित पक्षकारों के लेनदेन

संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए और स्वतंत्र व्यवहार की मूल्य निर्धारित नीति के आधार पर किए गए।

सामान्य निकाय की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

वर्ष	स्थान	तारीख और समय
2016-17	पंजीकृत कार्यालय	9 सितंबर, 2017 दोपहर 12.30 बजे
2017-18	पंजीकृत कार्यालय	20 सितंबर 2018 दोपहर 14.30 बजे
2018-19	पंजीकृत कार्यालय	9 सितंबर 2019 दोपहर 13.00 बजे

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की संबंधित नोटिसों में निर्धारित, विशेष संकल्पों सहित सभी संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए। पिछले वर्ष कोई भी संकल्प डाक मतदान द्वारा नहीं किया गया।

प्रकटण

(क) कंपनी ने ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिससे व्यापक तौर पर कंपनी के हितों का कोई संभावित संघर्ष होता हो। फिर भी, संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों को वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की टिप्पणी सं. 40 के बिन्दु सं. 6 में प्रकट किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा अन्य कोई व्यय नहीं किया गया, जो प्रकृति से निजी है।

(ग) कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उसके लिए प्रासंगित व्यय तथा कर्मचारियों / पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण की ओर किए गए खर्च को छोड़कर, व्यय की कोई भी मद लेखा बहियों में नामें नहीं की गई।

(घ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालयीय व्यय तथा उसमें वृद्धि, यदि कोई हो, के कारण -

पिछले वर्ष के 1.24% के समक्ष वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय कुल व्ययों का 2.46% रहा। वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय विचलन नहीं हुआ।

एमसीए-21 का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 1956 (एमसीए-21) को कार्यान्वित करने में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल में सार्वजनिक, कार्पोरेट स्वत्वों तथा अन्य लोगों को कार्पोरेट सूचना तक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पहुँच प्रदान किया गया है जिसमें दस्तावेजों की फाइलिंग तथा किसी भी समय और कहीं से भी, संविधि के तहत सार्वजनिक प्रक्षेत्र में रहने के लिए अपेक्षित सूचना तक सार्वजनिक पहुँच शामिल है। कंपनी ने 2019-20 के दौरान एमसीए-21 के तहत सभी आज्ञापक ई-फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

राष्ट्रपति के निर्देश एवं दिशा-निर्देश

कंपनी को अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों का अक्षरत: और भावत: पालन करना होता है। कंपनी ने अ.जा. / अ.ज.जा. और अ.पि.व. के ले संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति सहित राष्ट्रपति के उक्त निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है।

यथा 31 मार्च 2020 को शेयरधारण की प्रविधि

क्र.सं.	वर्ग	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	83,86,259	100.00

यथा 31 मार्च 2020 को सर्वोच्च 10 शेयरधारक

क्र.सं.	वर्ग	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	83,86,259	100.00

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2019-20 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

दीर्घकालीन रेटिंग की दृष्टि 'स्थिर' है । ये 29 दिसंबर, 2020 तक वैध हैं ।

सीईओ/ सीएफओ का प्रमाणीकरण

डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, सीईओ/सीएफओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और उसे लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष पेश किया गया है ।

अनुपालन

कंपनी डीपीई को कार्पोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट पेश करती आ रही है ।
सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीपीएसई का श्रेणीकरण इन दिशा-निर्देशों पर उनके अनुपालन के आधार पर किया जाएगा ।

पंजीकृत कार्यालय / पत्राचार का पता

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि.
पंजीकृत कार्यालय - ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026
फ़ोन - (020) 27130981/2/3/4; फैक्स- (020) 27130589; ई-मेल - info@belop.co.in

---

घोषणा

डीपीई के का.ज्ञा. सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दिए गए अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में, कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के मंडल के सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित कारोबारी आचार संहिता एवं नीति का अनुपालन संपुष्ट किया है ।

कृते बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

-हस्त-

एम. वी. गौतमा

अध्यक्ष

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 23 जुलाई 2020

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 3

सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है –**

   क) बेलॉप कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को मान्यता प्रदान करती है और उसे स्वीकार करती है जिसके द्वारा कंपनी उस पर्यावरण की सेवा करने का संकल्प लेती है जिसने वर्षों के दौरान बेलॉप के कार्यकलापों और प्रयासों का निर्वाह किया है।

   ख) बेलॉप सीएसआर कार्यकलापों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसे निर्वहनीय ढंग से जो पारदर्शी और नैतिक हैं, संचालित करने के लिए अपने पणधारकों के प्रति वचनबद्ध है।

2. **सीएसआर समिति का संघटन इस प्रकार है –**

1) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष
2) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	सदस्य
3) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	सदस्य
4) श्री महेश वी (05.07.2019 से)	सदस्य

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ –**

   औसत निवल लाभ रु. 1371.81 लाख है।

4. **निर्धारित सीएसआर खर्च (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत) –**

   वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को रु. 27.44 लाख खर्च करना था।

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के विवरण –**

   वर्ष 2017-18, 2018-19 और और 2019-20 में सीएसआर संबंधी कार्यकलापों के लिए लेखा बहियों में प्रावधानित कुल राशि रु. 58.08 लाख है।

   वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया वास्तविक खर्च रु. 12.43 लाख है।
   वर्ष 2017-18 से लेकर 2018-19 तक सीएसआर निधियों के उपयोग के साथ निम्नलिखित परियोजनाएँ ली गईं और योजित हैं -

i) कौशल विकास संबंधी कार्यकलाप

क) आईटीआई, खेड़, पुणे में स्मार्ट कक्षा का विकास – कुल लागत रु. 11.50 लाख

बेलॉप ने आईटीआई, खेड़, पुणे में स्मार्ट कक्षा निर्मित करने की परियोजना जुलाई 2019 में रु. 8.19 लाख की कुल लागत से को पूरा किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपगत कुल खर्त रु. 8.19 लाख (2017-18 का बजट रु. 6.07 लाख और 2018-19 का बजट रु. 2.12 लाख) है। स्मार्ट कक्षा के निर्माण के लिए आबंटित वर्ष 2018-19 के सीएसआर बजट में से रु. 3.31 लाख की राशि खेड़ में स्कूल के निर्माण के लिए पुन:आबंटित की गई है।

ख) स्कूल भवन – कुल लागत रु. 43.14 लाख

बेलॉप ने पुणे जिले के खेड़ तालुक के जिला परिषद के नियंत्रणाधीन स्कूल की पहचान की। इसकी कक्षाओं के मौजूदा कमरे जीर्ण अवस्था में हैं, इसलिए, वर्ष 2018-19 के सीएसआर बजट (शेष रु. 15.70 लाख) और 2019-20 के सीएसआर बजट (रु. 27.44 लाख) में उपलब्ध निधियों का उपयोग करते हुए सीएसआर कार्यकलाप के तहत नए कमरे बनाने का प्रस्ताव है।

बेलॉप इस कार्य को अंतिम रूप देने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावित स्कूल का कार्य 2020-21 के दौरान पूरा होने की आशा है।

ii) स्वच्छ भारत संबंधी कार्यकलाप

क) पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) में नगर निगम के दो बगीचों में श्रेडिंग मशीन की आपूर्ति सहित दो कंपोस्ट पिटों का विकास – कुल लागत रु. **4.24** लाख

बेलॉप ने वर्ष 2017-18 के सीएसआर बजट की शेष निधियों का उपयोग करते हुए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) में नगर निगम के दो बगीचों में श्रेडिंग मशीन की आपूर्ति सहित दो कंपोस्ट पिटों का विकास करने की परियोजना का कार्य लिया। इन दोनों परियोजनाओं को 2019-20 के दौरान पूरा किया गया जिसे वर्ष 2020-21 में पीसीएमसी को सौंपा जाएगा।

उक्त परियोजना की रु. 0.62 लाख की शेष राशि वर्ष 2019-20 के दौरान स्वच्छ भारत कोश को अंतरित की गई।

रु. लाख में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	सीएसआर की अभिचिह्नित परियोजना या कार्य	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल की गई	परियोजना या प्रोग्राम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य का नाम बताएँ जहाँ परियोजना या प्रोग्राम पूरे किए गए	परिव्यय की राशि (बजट) परियोजना या प्रोग्राम-वार	परियोजनाओं या प्रोग्राम में खर्च की गई राशि उप-शीर्ष (1) परियोजना या प्रोग्राम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरीव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च	खर्च की गई राशि – प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	नगर निगम के बगीचे में कंपोस्ट पिट का निर्माण स्थिति – पूरी की गई	स्वच्छ भारत	स्थानीय – नेहरूनगर, पिंपरी, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	4.24	4.24	4.24	प्रत्यक्ष
2	आईआईटी, खेड़ में स्मार्ट कक्षा का विकास स्थिति – पूरी की गई	कौशल विकास	स्थानीय – पुणे, महाराष्ट्र	11.50	8.19	8.19	प्रत्यक्ष
3	उपलब्ध निधियों से खेड़ के प्राथमिक स्कूल का निर्माण स्थिति - प्रस्तावित	शिक्षा	स्थानीय – खेड़, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	43.14	0.00	0.00	प्रत्यक्ष

6. वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इस अवधि के किसी भाग के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत की राशि खर्च न करने के कारण।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सीएसआर कार्यकलापों के लिए लेखा बहियों में प्रावधान की गई कुल राशि रु. 58.08 लाख थी। बेलॉप ने वर्ष 2017-18 की सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग किया और 2018-19 के सीएसआर बजट से रु. 2.12 लाख का आंशिक उपयोग किया। 2018-19 की रु. 15.70 लाख और 2019-20 की रु. 27.44 लाख की शेष सीएसआर निधि खेड़ के प्राथमिक स्कूल के निर्माण के लिए अभिचिह्नित की गई है। प्रक्रियागत देरी के कारण बेलॉप 2019-20 के दौरान संपूर्ण राशि खर्च न कर सकी, बहरहाल, इसे अपेक्षा है कि 2020-21 तक स्कूल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हैं, नीचे दिया गया है –

उत्तरदायित्व कथन

बेलॉप की सीएसआर समिति एतद्वारा यह संपुष्ट करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

-हस्ता.- (डी सी एन श्रीनिवास राव) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बेलॉप	-हस्ता.- (आनंदी रामलिंगम) अध्यक्ष, सीएसआर समिति, बेलॉप

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 23 जुलाई 2020

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 4

निर्वहनीयता रिपोर्ट

भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 3(9)-2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितंबर 2011 द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए निर्वहनीय विकास पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीपीई के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, "निर्वहनीय विकास" को "ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्वहनीय विकास में आर्थिक कार्य, समाज की प्रगति और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति सहनशील और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है।

बेलॉप जो कि आईएसओ 14001:2004 प्रमाणित कंपनी है, संवृद्धि के साथ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने परिसरों में हरित वातावरण बनाए रखती है और इसने पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न प्रबंध पद्धतियों को कार्यान्वित किया है।

निर्वहनीय विकास पहल

वायु में उत्सर्जन

प्रक्रमों से होने वाले वायु उत्सर्जन को समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वायु उत्सर्जन के स्टेक की निगरानी तिमाही आधार पर वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार की जाती है।

जल प्रबंधन

एमपीसीबी के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने उपयुक्त स्थलों पर पानी के मीटर लगाए हैं और दैनंदिन आधार पर पानी की खपत की निगरानी करती है।

ध्वनि प्रदूषण

कारखाने के परिसरों में ध्वनि प्रदूषण को एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार तिमाही आधार पर मापा जाता है।

जल प्रदूषण

ईटीपी संयंत्र में औद्योगिक निस्सारी का उपचार किया जाता है और एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उसे निपटाया जाता है। कंपनी ने निस्सारी के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित किया है और पुन:चक्रित पानी का इस्तेमाल बगीचों में किया जाता है।

इसके अलावा, जल के प्रभावी उपयोग की हमारी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हमारी योजना उपचारित निस्सारी शुद्धीकरण प्रणाली अपनाने की है जिससे हम इस उपचारित निस्सारी का उपयोग कूलिंग टॉवरों के लिए कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन अनुमोदन के अंतिम चरण में है।

हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

कंपनी अपने हानिकारक अपशिष्टों का निपटान हानिकारक अपशिष्ट नियम, 2008 के अनुसार एमपीसीबी के प्राधिकृत रिसाइक्लर को करती है। प्रत्येक वर्ष फार्म IV में नियमित विवरणियाँ पेश की जाती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने हानिकारक पदार्थों की खपत और पर्यावरण पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए निर्माणी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त कुछेक हानिकारक पदार्थों का पुन:उपयोग करने के प्रयास किए हैं। बेलॉप ने रद्दी की बिक्री करने के लिए एम.एस.टी.सी. के साथ एक बिक्री एजेंसी करार किया हैं।

स्थल पर आपात योजना और प्रणालियाँ

स्थल और कंपनी भर में छद्म अभ्यास आवधिक रूप से संचालित की जाती है और कारखाने के परिसरों में प्रमुख स्थलों पर स्थल पर आपात योजना प्रदर्शित की जाती है।

उत्पादन की ज़रूरतों को पूरा करने और स्थानीय राज्य बिजली आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, 750 केवीए क्षमता का एक अतिरिक्त डीज़ल जनरेटर सेट (डी.जी.) सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया और इसका प्रचालन प्रगति में है। यह डी.जी. सेट एम.पी.सी.बी. के सभी मानदंडों के अनुरूप है और राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों द्वारा निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करता है।

पारिस्थितिकी निर्वहनीयता

कंपनी वृक्षारोपण तथा हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

स्वच्छ ऊर्जा

बेलॉप में पानी की ज़रूरतों के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम और बगीचों में पानी देने के लिए सोलर पावर पम्प का इस्तेमाल किया जाता है।

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक **5**

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का सार

31/03/2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

*[कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **92(3)** और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, **2014** के नियम **12(1)** के तारतम्य में]*

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण –

i)	सीआईएन	U32100PN1990GOI058096
ii)	पंजीकरण की तारीख	10 सितंबर 1990
iii)	कंपनी का नाम	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
iv)	कंपनी का वर्ग/उप-वर्ग	कंपनी की शेयर पूँजी है
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे	ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026 टेलीफ़ोन नं. 020-27130981/2/3
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट, यदि हैं, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे	लागू नहीं

II. कंपनी के मुख्य कारोबारी कार्यकलाप -

ऐसे सभी कारोबारी कार्यकलाप जो कंपनी के कुल विक्रयावर्त का 10% से अधिक का योगदान देते हैं, बताएँ जाएँ -

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा एनआईसी कोड	कंपनी के कुल विक्रयावर्त का %
1	इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब	3320	100%

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनियों के विवरण -

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक / सहायक / एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	L32309KA1954GOI000787	धारक	100%	2(46)

IV. शेयरधारण की प्रविधि (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी के अलग-अलग विवरण)

(i) वर्ग-वार शेयर धारण

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % में बदलाव कुल
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एच.यू.एफ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) कार्पोरेट निकास	5,89,176	66,31,367	72,20,543	100.00	17,54,892	66,31,397	83,86,259	100.00	16.14
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क) (1)	5,89,176	66,31,367	72,20,543	100.00	17,54,892	66,31,397	83,86,259	100.00	16.14
(2) विदेशी									
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कार्पोरेट निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक का कुल शेयरधारण (क) = [(क)(1)+(क)(2)]	5,89,176	66,31,367	72,20,543	100.00	17,54,892	66,31,397	83,86,259	100.00	16.14
ख. सार्वजनिक शेयरधारण									
1. संस्थान									
क) म्युच्युअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ.आई.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संस्थान इतर									
क) कार्पोरेट निकाय									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) समुद्रपार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति									
i) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख तक के नाममात्र की शेयर पूँजी धारित करते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख तक के नाममात्र की शेयर पूँजी धारित करते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख) = [(ख)(1)+ (ख)(2)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	5,89,176	66,31,367	72,20,543	100.00	17,54,892	66,31,397	83,86,259	100.00	16.14

(ii) प्रवर्तक का शेयरधारण

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयरधारण में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए / भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	72,20,543	100.00	-	83,86,259	100.00	-	-
	कुल	**72,20,543**	**100.00**	-	**83,86,259**	**100.00**	-	-

(iii) प्रवर्तक के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो, तो कृपया बताएँ)

क्र.सं.	सर्वोच्च **10** शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	---------कोई परिवर्तन नहीं---------				

(iv) सर्वोच्च **10** शेयरधारकों का शेयरधारण (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) -

क्र.सं.	सर्वोच्च **10** शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण **(01.04.2017)**		वर्ष के दौरान शेयरधारण **(31.03.2018)**	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	---------- कुछ नहीं ---------				

(v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण -

क्र.सं.	निदेशकों तथा केएमपी में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई भी निदेशक या केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते हैं			
	वर्ष के दौरान प्रवर्तक के शेयरधारण में तारीख-वार बढ़ोत्तरी / कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी / कमी का कारण बताते हुए (जैसे आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	कोई भी निदेशक या केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते हैं			
	वर्ष के अंत में	कोई भी निदेशक या केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते हैं			

V. कंपनी की ऋणग्रस्तता, ऐसे बकाया/प्रोद्भूत ब्याज सहित जो भुगतान के लिए देय नहीं हुआ है

रु. लाख में

विवरण	रक्षित ऋण, जमा राशि को छोड़कर	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	-	2,937.00	-	2,937.00
ii) देय ब्याज जो अदा नहीं की गई	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हुई	-	16.00	-	16.00
कुल **(i+ii+iii)**	-	2,953.00	-	2,953.00
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	-	-	-	-
* कटौती	-	(1,313.00)	-	(1,313.00)
निवल परिवर्तन	-	(1,313.00)	-	(1,313.00)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूलधन	-	1,633.00	-	1,633.00
ii) देय ब्याज जो अदा नहीं की गई	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हुई	-	7.00	-	7.00
कुल **(i+ii+iii)**	-	1,640.00	-	1,640.00

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा / या प्रबंधक को पारिश्रमिक -

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
1	सकल वेतन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टॉक का विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	- लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	- अन्य, बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (क)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक -

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डबल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम		कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	मंडल/समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (1)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	मंडल/समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	कुछ नहीं		

ग. एमडी/ प्रबंधक / डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	सीईओ	कंपनी सचिव एवं सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन			
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	23	16	39
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	13	4	17
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-
	- अन्य, बताएँ	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
6	सेवानिवृत्ति अनुलाभ	7	2	9
7	कुल	**43**	**22**	**65**

VII. जुर्माना / अर्थ दंड / दोष सिद्धि -

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित जुर्माने / अर्थदंड / दोषसिद्धि के विवरण	प्राधिकरण [आरडी /एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी						
जुर्माना	कोई नहीं					
अर्थदंड						
दोषसिद्धि						
ख. निदेशक						
जुर्माना	कोई नहीं					
अर्थदंड						
दोषसिद्धि						
ग. अन्य दोषी अधिकारी						
जुर्माना	कोई नहीं					
अर्थदंड						
दोषसिद्धि						

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना

क) ऊर्जा संरक्षण

i) वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए ऊर्जा संरक्षण के उपाय

ऊर्जा दक्ष कम्प्रेसरों की संस्थापना

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय

वर्ष के दौरान कंपनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के कोई उपाय नहीं किए।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश

ऊर्जा दक्ष एयर कम्प्रेसर की संस्थापना के लिए रु. 7.00 लाख का पूँजीगत निवेश किया गया।

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन तथा नवोन्मेष की ओर किए गए प्रयास, संक्षेप में

- एक्सआर-5 ट्यूबों का निर्माण करने की टीओटी परियोजना पूरी होने को है। इस टीओटी की प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं।

ii) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुलाभ

- ग्राहकों को आई.आई.ट्यूबों, टाइप एक्सआर-5 के उच्च कार्य-निष्पादन की सुपुर्दगी करने के लिए स्वदेशी निर्माण के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ।
- बेहतर उत्पादकता, प्रक्रम की निरंतरता और प्रक्रम डेटा प्राप्त करने की अवसंरचना का कोटि उन्नयन जिसके कारण समग्र ग्राहक तुष्टिकरण प्राप्त हुआ और विद्यमान परिसंपत्तियों का जीवनकाल बढ़ा।

iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना

भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित कार्य-निष्पादन वाले ट्यूबों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, कंपनी ने एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मई, 2014 के दौरान मे. फोटोनिस एसएएस, फ्रांस और उसकी सहायक संस्था मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ वृद्धिशील टीओटी किया है। एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

iv) अनु. व वि. पर खर्च

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग रु. 42 लाख का खर्च किया ।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत आवेदन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी कोई प्रकटण नहीं किया गया ।

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक **7**

फार्म सं. एम.आर.-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड,
ई.एल. 30, जे ब्लॉक, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे 411026

मैंने **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड (सीआईएन - U32100PN1990GOI058096)** (जिसे यहाँ इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सुशासन की पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। उक्त सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि इससे मुझे कार्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने विचार व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा दाखिल की गई विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुझे दी गई जानकारियों के आधार पर तथा अनुलग्नक के रूप में इसके साथ लगे अलग पत्र स्वरूप मैं निम्नप्रकार से रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी के पास, दिनांक **31 मार्च 2020** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान सूचीबद्ध प्रावधानों के साथ तथा यह मानते हुए की कंपनी की अपनी एक प्रचलित समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं नियम अनुपालन व्यवस्था है।

मैंने कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा प्रस्तुत विवरणियों एवं अन्य दस्तावेजों की 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है : -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली);

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम (समीक्षाधीन वर्ष के लिए यह कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के शेयर अभौतिक रूप में नहीं हैं);

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्य ऋण (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यह कंपनी पर लागू नहीं हे क्योंकि कंपनी ने कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋण नहीं लिया है) के बारे में उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के हत वर्णित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश –

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है);

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति जारी करना और उनका सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है);

(च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी इश्यू के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंटों की सेवाएँ प्राप्त नहीं करती है);

(छ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने शेयरों को सूची से नहीं हटाया है); तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(झ) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कोई अन्य विधि कंपनी पर विशेष रूप से लागू नहीं होती है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है -

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवी मानक।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं -

(i) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है -

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत् गठित है। चूँकि कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, कंपनके निदेशक बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं । निदेशक मंडल के संघटन में हुए परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किए गए।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठक, कार्यसूची पर विचार करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यसूची के विस्तृत बिंदु अग्रिम रूप से, कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

मंडल के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, मंडल का कोई भी सदस्य बैठक में पारित किसी भी संकल्प पर असहमत नहीं है।

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में ऐसी समुचित प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं जो लागू विधि, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की मानीटरी करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप हैं।

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने –

(क) अधिकार आधार पर रु. 100/- प्रत्येक के 1165716 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जिनके द्वारा चुकता पूँजी रु. 72,20,54,300/- से बढ़कर रु. 83,86,25,900/- हो गई है।

अभिजित दाखवे
कंपनी सचिव
एफसीएस # 6126
सीपी नं. # 4474
यूडीआईएन: F006126B000489004
स्थान - पुणे
दिनांक – 23 जुलाई, 2018

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 8

फार्म सं. ए.ओ.सी.-II

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संबंधित पक्षकार जिसमें उसके तृतीय शर्त के तहत निष्पक्ष पक्षकार के लेनदेन भी शामिल हैं, के संबंध में कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / करार के विवरण प्रकटण करने का फार्म –

1. ऐसी संविदाओं या करारों अथवा लेनदेनों के विवरण जो स्वतंत्र पक्षकार आधार के तहत नहीं आते -

(क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
(ख) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति - लागू नहीं
(ग) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि - लागू नहीं
(घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों की प्रमुख बातें - लागू नहीं
(ङ) ऐसी संविदा या करार अथवा लेनदेन करने का औचित्य - लागू नहीं
(च) मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तारीख - लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि हो - लागू नहीं
(ज) धारा 188 की पहली शर्त के तहत यथा अपेक्षित, सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख - लागू नहीं

2. स्वतंत्र पक्षकार आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों के विवरण

(क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
(ख) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति - लागू नहीं
(ग) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि - लागू नहीं
(घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों की प्रमुख बातें- लागू नहीं
(ङ) मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तारीख - लागू नहीं
(च) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि हो -कोई नहीं

मंडल के लिए व उसकी ओर से
-हस्ता.-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 23 जुलाई 2020

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण – 31 मार्च 2020

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण

- तुलन-पत्र
- लाभ व हानि का विवरण
- नकदी प्राप्ति विवरण
- इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

यथा 31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	परिसंपत्ति			
(1)	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	6,672	7,487
	(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	5,085	5,010
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	12,175	13,425
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	8,513	7,016
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्य	5	-	-
	(ii) ऋण	6	36	36
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	75	90
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	21	134	86
	(छ) वस्तुसूचियाँ	8	-	-
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	577	1,001
	उप कल गैर-चाल परिसंपत्तियाँ ((क) से (ज))		33,267	34,151
(2)	चालू परिसंपत्तियाँ			
	(क) वस्तुसूचियाँ	10	4,222	2,966
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्य	11	74	956
	(ii) नकद व नकद समतुल्य	12	2,625	2,869
	(iii) बैंक शेष (उक्त (ii) के अलावा)	13	265	2,442
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	20	13
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	270	64
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	16	369	284
	उप कल चाल परिसंपत्तियाँ ((क) से (घ))		7,845	9,594
	कुल परिसंपत्तियाँ		41,112	43,745
	इक्विटी और देयताएँ			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	8,386	7,220
	(ख) अन्य इक्विटी		15,142	13,976
	उप कल इक्विटी ((क) + (ख))		23,528	21,196
	देयताएँ			
(1)	गैर-चालू देयताएँ			
	(क) वित्तीय देयताएँ			
	(i) उधार	18	99	1,293
	(ख) सरकारी अनुदान - आस्थगित	19	11,307	12,645
	(ग) प्रावधान	20	370	221
	(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	21	-	-
	उप कल गैर-चाल देयताएँ ((क) से (घ))		11,776	14,159
(2)	चालू देयताएँ			
	(क) वित्तीय देयताएँ	22	-	622
	(ii) व्यापार देय	24		
	क) सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय कुल बकाया राशि		25	80
	ख) सूक्ष्म उद्यमों व लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों का कुल बकाया		513	415
	(iii) अन्य वितीय देयताएँ	25	1,983	2,892
	(ख) सरकारी अनुदान – आस्थगित	23	1,328	1,328
	(ग) अन्य चालू देयताएँ	26	44	506
	(घ) प्रावधान	27	1,915	2,262
	(ङ) चालू कर देयता (निवल)	28	-	285
	उप कल चाल देयताएँ ((क) से (ङ))		5,808	8,390
	उप कल देयताएँ (1+2)		17,584	22,549
	कुल इक्विटी और देयताएँ		41,112	43,745

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डब्ल्यू

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 26 जून, 2020

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 25 जून, 2020

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
महेश वी
निदेशक

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव एवं सी.एफ.ओ.

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
I	प्रचालनों से राजस्व	29	5,487	11,729
II	अन्य आय	30	203	313
III	कुल आय (I+II)		5,690	12,042
IV	व्यय			
	1) खपत सामग्री की लागत	31	2,058	3,783
	2) तैयार माल, मार्गस्थ स्टॉक और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	32	(1,233)	545
	3) कर्मचारी अनुलाभ व्यय	33	1,409	1,363
	4) वित्त लागत	34	264	409
	5) मूल्यह्रास और ह्रास व्यय	35	2,127	2,101
	6) तकनीकी सहायता शुल्क	36	250	318
	7) अन्य व्यय	37	600	1,657
V	कुल व्यय (IV) ((क) से (छ))		5,475	10,176
VI	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III -IV)		215	1,866
VII	असाधारण मदें		-	-
VIII	कर पूर्व लाभ (V-VI)		215	1,866
	कर व्यय -			
	(i) चालू कर		-	734
	(ii) पिछले वर्ष के कर		(52)	-
	(iii) आस्थगित कर (मैट क्रेडिट की हकदारिता सहित)		-	(286)
	(iv) आस्थगित कर		(34)	-
	कुल कर व्यय (i+ii+iii+iv)		(86)	448
IX	वर्ष का लाभ (VII-VIII)		301	1,418
X	अन्य व्यापक आय			
(A)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(264)	(128)
	(ii) उक्त पर आय कर का प्रभाव		-	37
(B)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	वर्ष की अन्य व्यापक आय, कर का निवल (क+ख)		(264)	(91)
XI	अवधि की कुल व्यापक आय (IX+X)(जिसमें इस अवधि का लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		37	1,327
XII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
	(1) मूल	38(1)	3.99	21.05
	(2) परिवर्तित		3.99	21.05

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डब्ल्यू

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 26 जून, 2020

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 25 जून, 2020

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
महेश वी
निदेशक

प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव एवं सी.एफ.ओ.

01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए नकदी प्राप्ति विवरण रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
कर पूर्व लाभ	215	1,866
इनके लिए समायोजन -		
मूल्यह्रास एवं ह्रास व्यय	2,127	2,101
ब्याज की आय	(193)	(112)
वित्त लागत	264	409
सरकारी अनुदानों का ह्रास - आस्थगित	(1,338)	(1,329)
निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(264)	(128)
ऋण के उचित मूल्यांकन का समायोजन	20	51
परिचालित परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन		
व्यापार प्राप्यों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	882	432
वस्तुसूचियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	(1,256)	230
व्यापार प्राप्यों में बढ़ोत्तरी / (कमी)	43	(1,247)
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(1,448)	(1,112)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	8	(59)
अन्य गैर-चालू परिसंत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	423	440
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	(85)	301
प्रावधानों में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(198)	1,263
अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(463)	(355)
परिचालनों से / में (प्रयुक्त) नकदी प्राप्ति	(1,263)	2,751
अदा किया गया आय कर	(451)	(488)
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	-	-
परिचालन कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (क)	(1,714)	2,263
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(137)	(383)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(1,497)	(1,872)
मीयादी जमा में निवेश	2,177	(2,174)
प्राप्त ब्याज	193	112
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (ख)	736	(4,317)
वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
उधार से प्राप्ति / (चुकतान) – मीयादी ऋण	(700)	817
उधार से प्राप्ति / (चुकतान) – कार्यशील पूँजी	(622)	(2,617)
वित्त लागत	(264)	(409)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(513)	(417)
शेयर जारी करने से हुई प्राप्ति	2,833	1,449
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (ग)	734	(1,177)
नकद व नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी) ((क)+(ख)+(ग))	(244)	(3,231)
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	2,869	6,100
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	2,625	2,869
नकदी प्राप्ति विवरण के अनुसार नकद व नकद समतुल्य का समाधान		
उपर्युक्त के अनुसार नकद व नकद समतुल्य का समाधान जिसमें निम्न शामिल है -		
नकद व नकद समतुल्य (टिप्पणी 12)	2,625	2,869
नकदी प्राप्ति विवरण के अनुसार शेष	2,625	2,869

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार	-हस्ता-	-हस्ता-
नातू एंड पाठक	एम वी गौतमा	आनंदी रामलिंगम
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष	निदेशक
फर्म पंजी. सं. 112219 डबल्यू	-हस्ता-	-हस्ता-
	कोशी एलेक्ज़ाण्डर	महेश वी
-हस्ता-	निदेशक	निदेशक
श्रीधर पाठक	-हस्ता-	प्रिया एस अय्यर
साझेदार	डी सी एन श्रीनिवास राव	कंपनी सचिव एवं सी.एफ.ओ.
सदस्यता सं. 041994	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	
स्थान- पुणे	स्थान – बेंगलूरु	
दिनांक – 26 जून, 2020	दिनांक – 25 जून, 2020	

वित्त संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभिक व अंतिम शेष के बीच समाधान

रु. लाख में

विवरण	01.04.2019 को शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्राप्ति	वर्ष के दौरान नकद-इतर परिवर्तन		31.03.2019 को शेष
			विदेशी मुद्रा विनिमय का संचलन	विदेशी मुद्रा विनिमय का संचलन	
कुछ नहीं					

रु. लाख में

विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्राप्ति	वर्ष के दौरान नकद-इतर परिवर्तन		31.03.2018 को शेष
			विदेशी मुद्रा विनिमय का संचलन	विदेशी मुद्रा विनिमय का संचलन	
अल्पकालीन उधार (क्रेता क्रेडिट)	1,370	(1,345)	(25)	-	-

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

रु. लाख में

01.04.2019 को शेष		टिप्पणी सं.	वर्ष के दौरान इक्विटी पूँजी में परिवर्तन		31.03.2020 को शेष	
शेयरों की सं.	राशि	17	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
72,20,543	7,220		11,65,716	1,166	83,86,259	8,386

ख. अन्य इक्विटी

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष		अन्य व्यापक आय की मदें	अन्य प्रारक्षण	कुल इक्विटी
		प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित अर्जन			
1 अप्रैल 2019 को शेष		7,212	6,697	(144)	211	13,976
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करना		1,667	-	-	-	1,667
वर्ष का लाभ		-	301	-	-	301
वर्ष की अन्य व्यापक आय (निवल कर)		-	-	(264)	-	(264)
बाज़ार दर से कम में उधार लेने के कारण पूँजी अंशदान		-	-	-	2	2
31 मार्च 2020 को शेष		**8,879**	**6,998**	**(408)**	**213**	**15,682**
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च	38(2)	-	(27)	-	-	(27)
लाभांश	17	-	(426)	-	-	(426)
लाभांश वितरण कर	17	-	(87)	-	-	(87)
31 मार्च 2020 को शेष		**8,879**	**6,458**	**(408)**	**213**	**15,142**

1.प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए आदेश के अनुसार किया जाएगा।

2.प्रतिधारित अर्जन कंपनी के मुक्त प्रारक्षण हैं।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डब्ल्यू

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 26 जून, 2020

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 25 जून, 2020

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
महेश वी
निदेशक

प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव एवं सी.एफ.ओ.

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

इस रिपोर्ट के साथ में दिए गए वित्तीय विवरणों में बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे (बेलॉप) (कंपनी) के वित्तीय विवरण दिए गए हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और यह भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के पूर्व स्वामित्व की सहायक कंपनी है। यह कंपनी रक्षा प्रणालियों में प्रयोग किए जाने वाले इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब और संबंधित उच्च वोल्टता की पावर सप्लाई यूनिटों का निर्माण करती है।

1. **तैयार करने का आधार तथा अनुपालन संबंधी विवरण**
   वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। जीएएपी में आज्ञापक भारतीय लेखा मानक (भारतीय-एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है], जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं और इनका सतत् रूप से पालन किया गया है।

2. **प्राक्कलनों का उपयोग**
   जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस बात की आवश्यकता होती है कि प्रबंधन इस प्रकार के प्राक्कलन और मान्यताएँ करे जो वित्तीय कथनों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं, आकस्मिक देयताओं के प्रकटण तथा रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं । यद्यपि ऐसे प्राक्कलन सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण तथा दूरदर्शी आधार पर किए गए हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं और ऐसे अंतरों को उस अवधि में निर्धारित किया गया है जिसमें परिणाम अभिनिश्चित किए गए हैं ।

3. **मापन का आधार**
   वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं के, जिन्हें उचित मूल्य में मापा गया है -

   1. व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख, यदि कोई हो
   2. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जो उनके उचित मूल्य में मापे जाने हेतु अर्हताप्राप्त हैं।
   3. निर्धारित हितलाभ परिसंपत्ति/ देयता को निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में से योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर निर्धारित किया गया है।

4. **कार्यशील तथा प्रचलित मुद्रा**
   इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया गया है जो कंपनी की कार्यशील और प्रचलित मुद्रा है।

5. **राजस्व का निर्धारण**

   क. <u>ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व</u> -

   i. राजस्व का निर्धारण तब (या वैसे) किया जाता है जब कंपनी ग्राहक को वायदे के अनुसार माल या सेवाएँ (जैसे कोई परिसंपत्ति) अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन देयता पूरी करती है।
   ii. किसी समय बिंदु पर कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना
      क. कंपनी राजस्व को किसी समय बिंदु पर निर्धारित करती है जब वह कार्य-निष्पादन संबंधी देयता को पूरी करती है।
      ख. कार्य-निष्पादन देयता तब पूरी होती है जब ग्राहक परिसंपत्ति पर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंक्षण के अंतरण के सूचक इस प्रकार होते हैं –

- कंपनी ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है।
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति का कानूनी अधिकार है।
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है।
- जब कंपनी के पास परिसंपत्ति के भुगतान करने का अधिकार मौजूद है।
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति के स्वामित्व का उल्लेखनीय जोखिम और प्रतिफल है। उल्लेखनीय जोखिमों और प्रतिफल स्वामित्व के अंतरण का मूल्यांकन संविदा की शर्तों पर आधारित होता है।

कारखाना-बाह्य संविदा - कारखाना-बाह्य संविदा के मामले में, राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है जब निर्दिष्ट माल को पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, के बाद संविदा में बिना शर्त विनियोजित किया जाता है।

संविदाओं के लिए - एफओआर संविदाओं के मामले में, जब माल पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि निर्दिष्ट हो, के बाद खरीददार को पारेषण हेतु वाहक को सौंपा जाता है और एफओआर गंतव्य स्थल की संविदाओं के मामले में, यदि इस बात की औचित्यपूर्ण अपेक्षा हो कि माल लेखा अवधि के भीतर गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगा। ग्राहक के अनुरोध पर माल को कंपनी में रखे जाने पर भी राजस्व को निर्धारित किया जाता है।

iii. मापन

क. राजस्व का निर्धारण कार्य-निष्पादन देयता को आबंटित लेनदेन कीमत की राशि पर किया जाता है।

लेनदेन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिसमें कंपनी यह अपेक्षा करती है कि वह तृतीय पक्षकारों की ओर से प्राप्त की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को वायदे अनुसार माल या सेवाएँ अंतरित करने लिए हकदार होगी।

कीमत में बढ़ोत्तरी या ई.आर.वी. के मामले में जहाँ अतिरिक्त प्रतिफल निर्धारित की जानी है और ग्राहकों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक से पुष्टिकरण प्राप्त करने पर निर्धारित किया जाता है।

ख. जुर्माना

संविदा में निर्दिष्ट जुर्माने (सुपुर्दगी में देरी के लिए लिए जाने वाले निर्णीत हर्जाने सहित) को लेनदेन कीमत का अंतर्निहित भाग नहीं माना जाता है यदि इसकी उगाही ग्राहक की समीक्षा के अधीन होती है।

ग. उल्लेखनीय वित्त घटक

उल्लेखनीय वित्त घटकों का निर्धारण करने के लि रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिम को विचार में नहीं लिया जाता क्योंकि इसका उद्देश्य संविदाकार पक्षकारों की हितों की सुरक्षा करना होता है।

अन्य संविदाओं के संबंध में, उल्लेखनीय वित्त घटक की मौजूदगी की समीक्षा मामला दर मामला आधार पर की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है –

i. ब्याज की आय

ब्याज की आय का निर्धारण प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

ii. अन्य आय

ऊपर विशिष्ट रूप से न बताई गई अन्य आय का निर्धारण प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

6. वस्तुसूचियाँ

i) कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जे तथा मार्गस्थ माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है तथा माल की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया गया है ।

ii) चालू कार्य का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है । लागत में सामग्री की लागत और यथा लागू, रूपांतरण की लागत शामिल हैं ।

iii) तैयार माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है ।

7. मूल्यह्रास / ह्रास

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा आधार पर किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित विधि से परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाते हैं जिसमें परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाना संभावित है।

जहाँ किसी परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत उसकी कुल लागत में उल्लेखनीय होती है और ऐसे भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे उल्लेखनीय भाग का मूल्यह्रास उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा विधि द्वारा किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

संयंत्र और मशीनरी की कुछेक मदों का मूल्यह्रास प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित उपयोगी जीवनकाल से अलग होते हैं।

ह्रास

ह्रास का परिकलन अमूर्त परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल में सीधी-रेखा विधि का प्रयोग करते हुए उनकी लागत को बट्टा खाते में डालने के लिए किया जाता है और आम तौर पर लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है। ह्रास की विधियों, उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें समायोजित किया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कोई मद और उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे प्रारंभ में निर्धारित किया गया है, उसे निपटान करने पर या उसके प्रयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक हितलाभ अपेक्षित न हो, उसे निर्धारित मदों से हटा दिया जाता है। परिसंपत्ति का निर्धारित वर्ग से हटाने से होने वाले लाभ या हानि (निवल निपटान की प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ व हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

9. कर्मचारी अनुलाभ

(i) कर्मचारियों के सभी अनुलाभ जो संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह प्रदेय होते हैं, को अल्पकालीन कर्मचारी अनुलाभों के रूप में वर्गीकृत क़िया जाता है और उनमें मुख्यत: निम्नलिखित अनुलाभ शामिल होते हैं -

क) मजदूरी और वेतन; ख) अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ; ग) प्रोत्साहन एवं बोनस जिनका मूल्य-निर्धारण बट्टारहित आधार पर किया जाता है और जिन्हें ऐसी अवधि के दौरान निर्धारित किया जाता है जिसमें संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ।

(ii) वार्षिक अवकाश जैसी दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और तुलन-पत्र में शामिल प्रावधान के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है ।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन योजना की ओर निर्धारित अंशदान लागू दरों पर मासिक प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है । अधिवार्षिता योजना के प्रति अंशदान लागू दरों पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(iv) उपदान - कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य तथा इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदित न्यास में वित्त-पोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है ।

(v) बीमांकक लब्धियाँ और हानियाँ तथा योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्त (ब्याज छोड़कर) तथा परिसंपत्ति की निर्दिष्ट सीमा के प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत निर्धारित किया जाता है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्तियाँ) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का परिकलन वर्ष के दौरान किए गए अंशदान और हितलाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) की माप करने में प्रयुक्त, बट्टागत दर लागू करते हुए किया जाता है।

जब किसी योजना के हितलाभों में परिवर्तन होता है या योजना को सीमित किया जाता है तो हितलाभ में इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन जो पिछली सेवा या योजना को सीमित करने पर लाभ या हानि से संबंधित होते हैं, उन्हें लाभ व हानि के विवरण में तत्काल निर्धारित किया जाता है।

10. आयकर

आयकर में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं –

(i) चालू आय कर

चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को वसूली किए जाने योग्य अथवा कराधान प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। इस राशि का परिकलन करने में प्रयुक्त कर की दरें या कर नियम वे होते हैं जो अधिनियमित होते हैं या रिपोर्टिंग की तारीख में बाद में अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे निर्धारित मदों से संबंधित चालू कर को इक्विटी में निर्धारित किया जाता है, लाभ व हानि के विवरण में नहीं।

लाभ व हानि के विवरण से बाहर निर्धारित मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ व हानि के विवरण से बाहर निर्धारित किया जाता है।

(ii) आस्थगित कर

परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार तथा रिपोर्टिंग की तारीख में वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ उनकी वहनीय राशियों के बीच के अस्थायी अंतरों पर तुलन-पत्र विधि का प्रयोग करते हुए आस्थगित कर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों, आगे ले जाने योग्य अप्रयुक्त कर क्रेडिटों तथा अप्रयुक्त कर हानियों, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि ऐसा करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है, के लिए निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और इस सीमा तक की जाती है कि यह तब तक संभाव्य न हो कि सभी या आंशिक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनुमत करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

11. विदेशी मुद्रा के लेनदेन

विदेशी मुद्रा के संव्यवहारों को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उनकी संबंधित मुद्रा विनिमय दरों द्वारा दर्जकिया जाता है जिसमें ऐसे संव्यवहार निर्धारित करने के लिए पहली बार अर्ह बनते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर पर रूपांतरित किया जाता है। आर्थिक मदों के निपटान या रूपांतरण से पैदा होने वाले अंतरों को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है। मौद्रिक – इतर मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, उन्हें प्रारंभिक संव्यवहारों की तारीखों पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर का प्रयोग करते हुए रूपांतरित किया जाता है।

12.अगाऊ ठेके

विदेशी मुद्रा के जोखिम का बचाव करने के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख जैसे अगाऊ मुद्रा संविदाएँ, को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है जिसमें ऐसा व्युत्पन्नी संविदा किया जाता है और तदुपरांत उचित मूल्य पर उनका दोबारा मापन किया जाता है। उचित मूल्य धनात्मक हो व्यत्पन्नी को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में आगे ले जाया जाता है और ऋणात्मक होने पर वित्तीय देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

13.उधार संबंधी लागतें

उधार की लागतें जो एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं जो इसके आशयित प्रयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में सारभूत समय लेती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। सामान्य उधार की लागतों को ऐसी परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर लागू करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों पर पूँजीकृत किया जाता है। पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधारों को छोड़कर, सामान्य बकाया उधार पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होता है। उधार की अन्य सभी लागतों को उपगत होने वाली अवधि में खर्च किया जाता है। उधार की लागतों में ऐसे ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल की जाती हैं जो एक स्वत्व निधियों के उधार लेने के संबंध में करता है। उधार की लागत में उधार की लागतों के समायोजन के रूप में होने वाले विनिमय दर अंतर भी शामिल होते हैं।

14.संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, पूँजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को प्रारंभ में लागत पर मूल्यांकित किया जाता है तदपुरांत उन्हें उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

इस प्रयोजनार्थ लागत में परिसंपत्ति को उसकी स्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए उपगत सभी लागत शामिल होती है। परिसंपत्ति काप्रयोग करने के बाद, उसका कार्यारंभ बंद करने की अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है, यदि इस प्रावधान संबंधी निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों।

पूँजीगत चालू कार्य

अचल परिसंपत्तियाँ, जो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं थीं, की लागत को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में प्रकट किया गया है।

पूँजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण ठेके, स्थल पर प्राप्त पूँजीगत आपूर्तियों का मूल्य तथा स्वीकृत पूँजीगत मार्गस्थ माल जो निरीक्षण के अंतर्गत हैं तथा ऐसी अचल परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख पर आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, की लागत शामिल हैं।

15.अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अर्जित लाइसेंस शुल्क, तकनीकी जानकारी जो भावी आर्थिक हितलाभ में परिणामित हुए, की लागत को, प्रयोग में तैयार होने पर लेखा बहियों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकास कार्य जो पूरे कर लिए गए हैं, जहाँ पात्र हैं, की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है।

चालू विकास कार्यों की लागत, यहाँ पात्र हैं, को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

16.तकनीकी जानकारी पर खर्च

तकनीकी जानकारी पर उपगत खर्च को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च स्वँयं अलग से या किसी अन्य परिसंपत्ति / व्यय के संयोजन से, अमूर्त परिसंपत्ति / मूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में निर्धारित करने के योग्य न हो।

17.अनुसंधान व विकास पर खर्च

(i) अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर खर्च को उपगत होने वाली अवधि में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

(ii) विकास खर्च (विशिष्ट-सह-बिक्री संविदाएँ तथा विकासीय, परियोजनाओं के अलावा जो ग्राहक के अनुरोध पर किए जाते हैं) को उपगत होने पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है। विकास-सह-बिक्री संविदाओं पर विकासीय खर्च तथा ग्राहक के अनुरोध पर की गई विकासीय परियोजनाओं पर खर्च को अन्य बिक्री संविदाओं के समतुल्य माना जाता है।

विकास परियोजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आगे ले जाई गई राशि, यदि कोई हो, को आदेश देने की प्रतिबद्धता के बिना ग्राहक / अंतिम प्रयोक्ता द्वारा परियोजना को बंद किए जाने की घोषणा करने पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) अन्य विकासीय कार्यकलाप (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से किए गए संयुक्त विकास कार्य सहित) पर किए गए खर्च जहाँ किए गए अनुसंधान के परिणाम या प्राप्त अन्य ज्ञान को नए या वर्धित उत्पाद या प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है यदि भारतीय-एएस में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हैं और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने योग्य हों, कंपनी के पास विकास कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और बाद में अमूर्त परिसंपत्ति का प्रयोग या विक्रय किया जा सकता हो औरऐसा उत्पाद या प्रक्रिया से भावी आर्थिक हितलाभ जनित करने की संभावना हो।

(iv) अचल परिसंपत्तियों पर अनु. व वि. व्यय को पूँजीकृत किया जाता है।

18.सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को उचित मूल्य पर मापा ज़ाता है और प्रारंभिक रूप से आस्थगित आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए सरकारी अनुदान की आरोप्य सीमा तक संबंधित परसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में लभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

राजस्व व्ययों के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को प्राप्त अनुदान की सीमा तक, कुल स्वीकृत लागत के लिए वित्त-पोषण के अनुपात में उपगत व्यय की सीमा तक लाभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

19.वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक निर्धारण तथा मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य में निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है तो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण आने वाली संव्यवहार लागतों को परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार वर्गों में बांटा जाता है -

- ह्रासमान लागत पर ऋण विलेख,
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) ऋण विलेख,
- लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर ऋण विलेख, व्युत्पन्नी तथा इक्विटी विलेख (एफवीटीपीएल),
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर इक्विटी विलेख (एफवीटीओसीआई)।

निर्धारण हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को तब निर्धारित से हटा दिया जाता है जब ऐसी परिसंपत्ति से नकद प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

व्यापार से प्राप्तियाँ तथा अन्य प्राप्य राशि

प्राप्य राशियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है जो ज्यादातर मामलों में नाममात्र मूल्य के लगभग होता है। यदि बाद में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि ऐसी परिसंपत्तियाँ अनर्जक हो सकती हैं तो अनर्जकता के लिए उनकी समीक्षा की जाती है।

20.नकद और नकद समतुल्य

नकद में हस्तस्थ नकद और मांग जमा राशियाँ शामिल होती हैं। नकद समतुल्य अल्पकालीन अत्यंत चलनिधि के निवेश होते हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम की होती है और जिन्हें ज्ञात नकद राशि में तुरंत रूपांतरित किया जा सकता है जिसमें मूल्य में परिवर्तन करने के बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, का कम जोखिम होता है, तुलन-पत्र में चालू देयताओं के तहत उधार क रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

21.वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

भारतीय-एएस 109 के अनुसार, कंपनी क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र वाली वित्तीय परिसंपत्तियों में अनर्जकता हानि के मापन और निर्धारण के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को अपनाती है।

क. सरकार / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से कालातीत देय राशियों का सामान्य रूप से ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में बढ़ोत्तरी नहीं माना जाता।

ख. जहाँ देय राशि कानूनी कार्यवाही के तहत विवाद में है तो मामले की अपील उच्चतर अधिकारियों / न्यायालयों में करने के बावजूद, कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिए जाने का भी प्रावधान किया जाता है ।

ग. उल्लेखनीय अवधि तक बकाया रहने वाली देय राशियों की समीक्षा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान किया जाता है।

अनर्जक हानि स्वीकृति (या व्युत्क्रमण) को लाभ या हानि के विवरण में व्यय / (आय) के रूप में निर्धारित किया जाता है।

22.वित्तीय देयताएँ

(i) प्रारंभिक निर्धारण तथा मापन

वित्तीय देयताओं को ऋण, उधार, देय राशि या परिवर्त, जैसा उचित हो, के रूप में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर प्रारंभिक निर्धारण पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार या देय राशियों को निवल संव्यवहार लागतों पर दर्शाया जाता है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है –

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ।

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ऐसी वित्तीय देयताएँ शामिल होती हैं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक निर्धारण करने पर निर्धारित की जाती हैं। इस वर्ग में कंपनी द्वारा किए गए ऐसे परिवर्ती वित्तीय विलेख भी शामिल किए जाते हैं जिन्हें भारतीय-एएस 109 में यथा परिभाषित, बचाव संबंध में बचाव विलेख नहीं माना जाता है। पृथक किए गए अंतर्निर्मित परिवर्तों को भी व्यापार में धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं माना जाता। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लब्धि या हानि को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

(iii) ऋण तथा उधार

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, ब्याज वाले ऋणों तथा उधार को तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए ह्रासमान लागत पर मापा जाता है। लब्धियों और हानियों को लाभ या हानि में तब निर्धारित किया जाता है जब देयताओं कोई आईआर ह्रास प्रक्रिया द्वारा अमान्य माना जाताहै। एक वित्तीय देयता का निर्धारण तब हटाया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता पूरी कर ली जाती है या रद्द या समाप्त कर दी जाती है।

(iv) व्यापार तथा अन्य देय राशियाँ

पूर्तिकर्ता द्वारा बिल तैयार करने या न करने पर भी, प्राप्त माल या सेवा के लिए भविष्य में अदा की जाने वाली राशियों के लिए देयताएँ निर्धारित की जाती हैं।

23. वित्तीय विलेखों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण तय करती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता जो इक्विटी विलेख और वित्तीय देयताएँ होती हैं। ऐसी वितीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण विलेख होती हैं, केवल तभी पुनर्वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के कारोबारी मॉडल में परिवर्तन किया गया हो। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है तो वह भविष्यलक्षी प्रभाव से ऐसे पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है।

24.वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ समंजन होती हैं और इसकी निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शाई जाती है बशर्ते कि निर्धारित राशियों का समंजन करने का वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियोंको वसूल करने और देयताओं को निपटाने के लिए, निवल आधार पर एक साथ निपटाने का आशय हो।

25.पट्टे

कंपनी, पट्टेदार के रूप में

तृतीय पक्षकार के साथ की गई ऐसी संविदाएँ जिनसे कंपनी को किसी परिसंपत्ति के संबंध में उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है, को भारतीय ए.एस. 116 – पट्टे के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है, बशर्ते कि लेखा मानकों में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे होते हों।

अल्पकालीन पट्टों से संबंधित पट्टे के भुगतान और कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों को पट्टे की अवधि या अन्य क्रमबद्ध आधार पर, जो भी लागू हो, पर सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ की तारीख में, प्रयोग का अधिकार के मूल्य को पट्टे के बकाया भुगतान तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने और हटाने की कोई प्रारंभिक लागत और प्राक्कलित लागत, यदि कोई हो, के वर्तमान मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और उसे संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के भाग के रूप में दर्शाया जाता है।

पट्टे की देयता पट्टे के बकाया भुगतान के वर्तमान मूल्य के समतुल्य राशि पर सृजित की जाती है और उसे उधार के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद के मापन, यदि कोई हो, लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए किए जाते हैं।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त की लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के बचे शेष पर ब्याज की स्थिर आवधिक दर बनी रहे।

प्रयोग-का-अधिकार परिसंपत्ति को ऐसी परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि में और सीधी-रेखा आधार पर पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टे के भुगतान पर पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करते हुए, यदि ऐसी दर निर्धारित की जा सकती है, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर बट्टा दिया जाता है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हो, को एक अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि मानक में निर्दिष्ट निर्धारण शर्तें पूरी की जाती हों।

26. इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और नकद-रहित वितरण

कंपनी इक्विटीधारकों को नकद या नकदरहित वितरण करने की देयता को निर्धारित करती है जब ऐसे वितरण को प्राधिकृत किया जाता है और वितरण कंपनी के विवेक पर निर्भर नहीं होता।

27. वारंटियों का प्रावधान

कार्य-निष्पादन गारंटी तथा बेचे गए माल के प्रतिस्थापन / मरम्मत के कारण हुए व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलनों के आधार पर किया जाता है ।

28. प्रावधान

i. प्रावधानों को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी में पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता (विधिक या इतर) होता है, इसकी संभावना है कि देयता को निपटाने के लिए आर्थिक हितलाभ देने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो और ऐसी देयता की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता हो। जब कंपनी कुछेक या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति अपेक्षित करती है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है लेकिन ऐसा केवल तभी किया जाता है जब प्रतिपूर्ति करना आभासी रूप से निश्चित हो। इस प्रावधान से संबंधित व्यय को निवल प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ व हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

यदि धन राशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है तो दायित्व विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाले चालू पूर्व-कर दर, जब उचित हो, का प्रयोग करते हुए प्रावधानों को भुनाया जाता है। जब भुनाने का विकल्प लिया जाता है तो समयावधि के कारण प्रावधान में बढ़ोत्तरी को वित्तीय लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ii. निर्माण संविदाओं के अलावा दुर्वह संविदाओं के प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है जब ऐसी किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित हितलाभ संविदा के तहत इसकी देयताओं को पूरी करने की अपरिहार्य लागत से कम हो। इस प्रावधान का मूल्यांकन संविदा को समाप्त करने की अपेक्षित लागत तथा संविदा को जारी रखने के अपेक्षित निवल लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाताहै। किसी प्रकार का प्रावधान करने से पहले कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्ति पर अनर्जक लागत को निर्धारित करती है।

29. आकस्मिक देयताएँ / परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयताएँ / परिसंपत्तियाँ, जहाँ तक इनके बारे में प्रबंधन को ज्ञात है, को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

30. नकद प्राप्ति विवरण

नकद प्राप्ति विवरण को नकद प्राप्ति विवरण पर भारतीय-एएस 7 में वर्णित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

31. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे आगे की परिस्थितियों के साक्ष्य मिलते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए वितीय विवरणों को जारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है। गैर-समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो ऐसी परिस्थितियों का संकेत देती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने के बाद घटती हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद की गैर-समायोजनीय घटनाओं का लेखा नहीं किया जाता लेकिन प्रकट किया जाता है।

32. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों को लिए मूल व परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूलअर्जन का परिकलन कंपनी केसामान्य इक्विटी धारकों को हुए लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाताहै जिसे धारित स्वयं के शेयरों में समायोजित किया जाता है। सभी परिवर्तित संभावित सामान्य शेयरों के प्रभाव के लिए, परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का निर्धारण सामान्य इक्विटी धारकों तथा धारित स्वयं के शेयरों के लिए समायोजित, बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करते हुए किया जाता है।

33.परिसंपत्तियों की अनर्जकता

कंपनी [नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू)] के संदर्भ में परिसंपत्तियों की अनर्जकता का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है यदि आंतरिक या बाहरी कारकों के आधार पर परिस्थितियों में किसी प्रकार के परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहनीय मूल्य की पूरी वसूली नहीं की जा सकती । अनर्जकता के कारण कोई हानि, जो वहनीय राशि और वसूली-योग्य राशि के बीच का अंतर है, का तदनुसार लेखा किया जाता है । सीजीयू में वसूली योग्य राशि निवल विक्रय कीमत या प्रयोग में मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होती है । प्रयोग में मूल्य का परिकलन कंपनी की कर उधार-पूर्व दर पर बट्टागत प्राक्कलित भावी नकद प्राप्तियों के आधार पर होता है ।

34.त्रुटियाँ व प्राक्कलन

भारतीय-एएस में परिवर्तन के कारण यदि लेखा नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो या वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को अधिक संगत तथा विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करने के लिए कोई परिवर्तन करना हो तो कंपनी अपनी लेखा नीतियों में संशोधन करती है। लेखा नीतियों में ऐसे परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव से किए जाते हैं।

लेखा प्राक्कलन में कोई परिवर्तन जिससे निर्धारित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशियों में या लाभ व हानि के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्तन की अवधि में भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाता है।

यदि ऐसी महत्वपूर्ण त्रुटियाँ मिलती हैं जिनसे पूर्वावधि जिसमें ऐसी त्रुटियों का पता चला था, की परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा बताते हुए पूर्वव्यापी ढंग से पुनरीक्षण किए जाते हैं। पूर्व की अवधि के प्रारंभिक शेष को भी दोबारा बताया जाता है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

हमारी संलग्न रिपोर्ट के
अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219
डब्ल्यू

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 26 जून, 2020

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष
-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक
-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 25 जून, 2020

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक
-हस्ता-
महेश वी
निदेशक
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव एवं सी.एफ.ओ.

टिप्पणी 1 – 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रु. लाख में

विवरण	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के प्रभार	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ										
पट्टाधारित भूमि	18	-	-	18	1	-	-	1	17	17
भवन	480	-	-	480	113	30	-	143	337	367
संयंत्र व मशीनरी	9,873	46	-	9,919	2,922	816	-	3,738	6,181	6,951
कार्यालयीन उपकरण	21	2	-	23	9	4	-	13	10	12
वैद्युत संस्थापना	130	-	-	130	36	15	-	51	79	94
फर्नीचर व जुड़नार	49	9	-	58	19	5	-	24	34	30
कंप्यूटर सिस्टम	36	5	-	41	20	7	-	27	14	16
कुल	10,607	62	-	10,669	3,120	877	-	3,997	6,672	7,487
पिछले वर्ष	10,297	311	-	10,607	2,269	851	-	3,120	7,487	8,028

1. संयंत्र व मशीनरी (सकल वहनीय मूल्य) में रु. 33/- (पिछले वर्ष रु. रु. 33/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें टीपीडीयूपी परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया।
2. संयंत्र व मशीनरी (सकल वहनीय मूल्य) में रु. 5,611/- (पिछले वर्ष रु. 5,611/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूब की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया।
3. संयंत्र व मशीनरी पर रु. 816/- के मूल्यह्रास में रु. 550/- के टीओटी उपस्करों (एक्सडी-4) का मूल्यह्रास शामिल है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुसार मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एस.एल.एम.) द्वारा किया जाता है।
5. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अलावा मूल्यह्रास के परिकलन हेतु परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है -

   i) संयंत्र व मशीनरी (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) 15 वर्ष

   प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, रैखिक अंतरण रेखा (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) का समर्थन 15 वर्षों की अवधि के लिए टीओटी प्रदाता द्वारा किया जाता है। प्रबंधन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर यह अभिनिश्चित किया जाता है कि रैखिक अंतरण रेखा का उपयोग 15 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा।
6. दो पाली के कार्य तथा तीन पाली के कार्य के संबंध में संयंत्र व मशीनरी की मदों पर क्रमश: 50% और 100% का अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
7. कंपनी ने दिनांक 25.11.1991 को रु. 21/- की लागत पर 95 वर्षों के लिए एमआईडीसी से 13680 वर्ग मीटर की भूमि अर्जित की है जिसे नए निबंधन व शर्तों पर अतिरिक्त 95 वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

   पट्टाधारित भूमि की लागत को रु. 23/- में पूँजीकृत किया गया और सकल वहनीय राशि रु. 18/- है।
8. चालू वर्ष के संबंध में पट्टाधारित भूमि का मूल्यह्रास रु. 24,614/- है जिसे पूर्णांकित किया गया।
9. दृष्टिबंधन टिप्पणी के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें।

टिप्पणी 2 – चालूगत पूँजी कार्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
संयंत्र एवं मशीनरी		
प्रारंभिक शेष	5,010	4,936
जोड़ें- वर्ष के दौरान परिवर्धन	79	128
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	4	54
कुल	5,085	5,010

टिप्पणी 3 – 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
विवरण	1 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के प्रभार	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
लाइसेंस शुल्क (एक्सडी-4)	18,424	-	-	18,424	5,000	1,250	-	6,250	12,174	13,424
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम	2	-	-	2	1	-	-	1	1	1
कुल	18,426	-	-	18,426	5,001	1,250	-	6,251	12,175	13,425
पिछले वर्ष	18,426	-	-	18,426	3,751	1,250	-	5,001	13,425	14,676

1. अमूर्त परिसंपत्तियों (सकल वहनीय राशि) में रु. 13,689/- (पिछले वर्ष रु. 13,689/-) शामिल है जिन्हें एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूब की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया ।
2. ह्रास का परिकलन परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा आधार पर किया जाता है।
3. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के संबंध में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ह्रास रु. 18,863/- है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी 4 – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टीओटी (एक्सआर-5)		
प्रारंभिक शेष	7,016	5,132
जोड़ें – वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,497	1,884
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	-	-
कुल	8,513	7,016

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्धन एक्सआर-5 करार के तहत अदा किए गए लाइसेंस शुल्क के कारण है।

टिप्पणी 5 – व्यापार प्राप्य – गैर इतर

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया – रक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया – अरक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिनका क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-
व्यापार प्राप्य, क्रेडिट ह्रास	140	140
1. संबंधित पक्षकार से	140	140
घटाएँ – संदिग्ध ऋण का प्रावधान	-	-
उप कुल **(1)**	20	22
	20	22
2.अन्य से	-	-
घटाएँ – संदिग्ध ऋण का प्रावधान		
उप कुल **(2)**		
कुल	-	-

संदिग्ध प्राप्यों की स्वीकृत्ति में संचलन नीचे दिया गया है -

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	162	357
वर्ष के दौरान अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	21
वर्ष के दौरान बट्टा खाते में डाला गया	-	216
लाभ व हानि को जमा किया	2	-
वर्ष के अंत में शेष	160	162

संबंधित पक्षकार के प्रकटण के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें

टिप्पणी 6 – ऋण – गैर चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सुरक्षा जमा		
- खरा माना गया, रक्षित	-	-
- खरा माना गया, अरक्षित		
एमएसईबी के पास जमा	31	31
जल आपूर्ति के लिए जमा	1	1
अन्य जमा	4	4
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट ह्रास	-	-
कुल	36	36

उचित मूल्य मापनों के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें

टिप्पणी 7 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
12 महीनों से अधिक की परिपक्वता की मीयादी जमाएँ	71	19
बैंक के पास प्रतिधारित मार्जिन राशि	-	70
मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	4	1
कुल	75	90

उचित मूल्य मापनों के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें

टिप्पणी 8 – वस्तुसूचियाँ – गैर चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वस्तुसूचियाँ		
कच्चा माल	20	20
घटाएँ – अप्रचलन का प्रावधान	20	20
कुल	-	-

टिप्पणी 9 - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
पूँजीगत अग्रिम		439		810
पूर्वदत्त व्यय		1		1
(एक्सआर-5) पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर अग्रिम		32		53
टीडीएस (एक्सआर-5)		48		80
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
अरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना गया	22		22	
घटाएँ – संदिग्ध अग्रिम का प्रावधान	22	-	22	-
जमा राशि				
उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा	-		-	
विक्रय कर प्राधिकारियों के पास जमा	-		-	
न्यायालय (चुंगी) के पास जमा	14		14	
चुँगी के लिए जमा	23		23	
सेवा कर प्राधिकारियों के पास जमा	20	57	20	57
कुल		**577**		**1,001**

1. चालू वर्ष और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 1,000/- जो उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा है, पूर्णांकित किया गया।

2. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 10,000/- जो विक्रय कर प्राधिकारियों के पास जमा है, पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी 10 – वस्तुसूचियाँ - चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
कच्चा माल	679		916	
मार्गस्थ माल (आरएमसी)	10		89	
भंडार और उपभोज्य	237		204	
चालू कार्य	2,945	3,871	1,712	2,921
मशीनरी के पुर्जे		351		45
कुल		**4,222**		**2,966**

टिप्पणियाँ

1) *कच्चे माल और घटकों में रु. _/- (पिछले वर्ष रु. 7/-) शामिल है जो उप-ठेकेदारों के पास है और जो पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है।

* चालू वर्ष से संबंधित कच्चे मालें और घटकों में शामिल 33,678/- को पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी- 11 - व्यापार प्राप्य – चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया, रक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया, अरक्षित		
- संबंधित पक्षकार से	73	377
- अन्य से	1	579
व्यापार प्राप्य जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-
व्यापार प्राप्य, क्रेडिट ह्रास	-	-
कुल	74	956

1. उचित मूल्य के मापन तथा वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।
2. संबंधित पक्षकारों के प्रकरण तथा सुरक्षा दृष्टिबंधन के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें।

3. वर्ष 2019-20 के व्यापार प्राप्यों का संचलन

रु. लाख में

विवरण	उत्पादों की बिक्री	सेवाओं से आय
प्रारंभिक शेष, निवल देनदार (क)	955	1
परिवर्धन		
वर्ष के दौरान निर्धारित बिक्री के समक्ष	4,363	28
कुल – (ख)	4,363	28
कटौतियाँ		
वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	5,008	27
निर्धारित राजस्व से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	-	-
देनदारों का ह्रास (प्रावधान)	-	-
पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित लेनदेन कीमत में परिवर्तन	-	-
अन्य (यदि कोई हों)	236	1
कुल – (ग)	5,244	28
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख+ग)	74	-

वर्ष 2018-19 के व्यापार प्राप्त का संचलन

रु. लाख में

विवरण	उत्पादों की बिक्री	सेवाओं से आय
प्रारंभिक शेष, निवल देनदार (क)	1,386	1
परिवर्धन		
वर्ष के दौरान निर्धारित बिक्री के समक्ष	12,122	62
कुल – (ख)	12,122	62
कटौतियाँ		
वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	12,045	61
निर्धारित राजस्व से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	235	-
देनदारों का ह्रास (प्रावधान)	21	-
पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित लेनदेन कीमत में परिवर्तन	-	-
अन्य (यदि कोई हों)	252	1
कुल – (ग)	12,553	62
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख+ग)	955	1

भुगतान के समक्ष कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना

भुगतान की शर्तें -

क. सरकार/ सरकारी विभाग, पीएसयू की संविदाओं के भुगतान सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तों में किए जाते हैं -

i) सात दिनों के भीतर 90% और निरीक्षण व स्वीकृति के बाद 10%

ii) आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों का क्रेडिट

iii) आदेश देने के साथ 15% अग्रिम भुगतान, थोक सामग्रियों की खरीद के बाद 35%, थोक असेंबली और विसंचरित पुर्जों की आपूर्ति पूरी होने के बाद 35%, प्रेषण का प्रमाण देने पर 10%, भंडार में प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा होने के बाद 5%

ख. निजी ग्राहकों के साथ की गई संविदाएँ – माल के प्रेषण से पहले अग्रिम भुगतान

ग. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को संविदा देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे कार्य-निष्पादन देयता पूरी होने पर प्रगामी रूप से समायोजित किया जाता है। अग्रिम को समायोजित करने के बाद प्राप्त शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

टिप्पणी – 12 – नकद व नकद समतुल्य रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1. नकद व नकद समतुल्य		
क. बैंकों के पास शेष		
चालू खातों में	14	35
नकद क्रेडिट खाते में	3	10
मीयादी जमा में	2,607	2,822
(3 महीनों तक की मूल परिपक्वता)		
ख. हस्तस्थ नकद व स्टैम्प	1	2
कुल	**2,625**	**2,869**

1. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। मीयादी जमा जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीनों से अधिक है परंतु 12 नहीनों तक की परिपक्वता अवधि है, को टिप्पणी सं. 13 में बैंक शेष में शामिल किया गया है।

उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

नकदी प्राप्ति विवरणी के प्रयोजनार्थ, नकद व नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं – रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
बैंकों में शेष	2,624	2,867
हस्तस्थ नकद व स्टैम्प	1	2
कुल	**2,625**	**2,869**

टिप्पणी – 13 – बैंक शेष रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
मीयादी जमा में (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीनों से अधिक और 12 महीनों से कम है)	265	2,223
बैंक के पास प्रतिधारित मार्जिन राशि	-	219
कुल	**265**	**2,442**

1. 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को टिप्पणी सं. 7 में दिखाया गया है।
2. 3 महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को टिप्पणी सं. 12 में दिखाया गया है।
3. कंपनी की नकद प्रबंधन नीतियों को समझने के लिए टिप्पणी सं. 39 (vi) देखें।
4. उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी – 14 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
मीयादी जमा में प्रोद्भूत ब्याज	16	11
अन्य प्राप्य	-	-
प्राप्त वजीफा (प्रशिक्षु)	4	2
कुल	**20**	**13**

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 7,875/- और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 6,763/- के अन्य प्राप्यों को पूर्णांकित किया गया है।

उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 15 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
धन वापसीके लिए आय कर प्राधिकारियों के पाश शेष	114	64
आय कर का अग्रिम भुगतान	156	-
कुल	**270**	**64**

टिप्पणी 16 – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
पूर्वदत्त व्यय		15		19
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		90		237
अन्य अग्रिम				
अग्रिम टीडीएस (एक्सआर-5)		9		15
(एक्सआर-5) पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर		6		10
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष				
देय एफबीटी वापसी	-		-	
जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट	187		2	
जीएसटी टीडीएस	62	249	1	3
कुल		**369**		**284**

1. चालू वर्ष और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 45,928/- की देय एफबीटी वापसी को पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी -17 – इक्विटी शेयर पूँजी

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्राधिकृत पूँजी -		
100/- प्रत्येक के 1,00,00,000/- (पिछली अवधि 1,00,00,000/-) इक्विटी शेयर	10,000	10,000
जारी पूँजी -		
100/- प्रत्येक के 83,86,259 (पिछली अवधि 72,20,543) इक्विटी शेयर	8,386	7,220
अभिदत्त एवं चुकता पूँजी -		
100/- पूर्ण चुकता के 83,86,259 (पिछली अवधि 72,20,543) इक्विटी शेयर	8,386	7,220

रु. लाख में

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान -	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	72,20,543	7,220	66,31,367	6,631
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त इक्विटी शेयर	11,65,716	1,166	5,89,176	589
घटाएँ – वर्ष के दौरान समपहृत / पुनर्खरीद किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	83,86,259	8,386	72,20,543	7,220

टिप्पणियाँ -

1. उपर्युक्त में से, रु. 100 प्रत्येक के 83,86,259/- इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 72,20,543) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) और उसके नामितियों द्वारा धारित किए जाते हैं। बेलॉप दिनांक 30 जुलाई, 2015 से बीईएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है।
2. कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के विवरण नीचे दिए गए हैं –

रु. लाख में

विवरण	2019-20		2018-19	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
इक्विटी शेयर - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	83,86,259	100	72,20,543	100

प्रत्येक वर्ग शेयरों से संबंधित निबंधन, अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

क) कंपनी में केवल एक प्रकार के शेयर यानी इक्विटी शेयर हैं।

ख) इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर एक मत देने और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान करने का हकदार है।

ग) प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

घ) कंपनी को परिसमाप्त करने पर, इक्विटी शेयरधारक कानून के अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के वसूली-योग्य मूल्य प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अंतिम लाभांशx

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 का अंतिम लाभांश	426	346
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 का लाभांश वितरण कर	87	71

टिप्पणी 18 - उधार

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
संबंधित पक्षकार से ऋण		
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)		
मीयादी ऋण	99	1,293
कुल	**99**	**1,293**

विवरण के लिए टिप्पणी सं. 40(1) (ii) और (iii) देखें। उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 19 – सरकारी अनुदान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टीओटी (एक्सडी-4) परियोजना	11,307	12,645
कुल	**11,307**	**12,645**

टिप्पणी 20 -प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	370	221
कुल	**370**	**221**

वर्ष के दौरान प्रावधानों का संचलन इस प्रकार है –

रु. लाख में

विवरण	यथा 01.04.2019	परिवर्धन	उपयोगिता	यथा 31.03.2020	
				दीर्घकालीन	अल्पकालीन
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	237	176	20	370	23
कुल	**237**	**176**	**20**	**370**	**23**

टिप्पणी सं. 21

I) आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्तियाँ) (निवल) रु. लाख में

समय अंतर की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आस्थगित कर देयताएँ	815	928
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	949	1,014
कुल	**(134)**	**(86)**

II) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राशि रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आय कर व्यय		
चालू कर (एमएटी क्रेडिट सहित)	-	734
घटाएँ आस्थगित कर	(34)	235
घटाएँ एमएटी क्रेडिट की हकदारिता	-	51
घटाएँ पूर्व के वर्ष के कर	(52)	-
आय कर व्यय	**(86)**	**448**

1. 2018-19 के पूर्व के वर्षों से संबंधित एमएटी क्रेडिट हकदारिता ₹(51)/-

III) अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर रु. लाख में

विवरण	31.03.2020			31.03.2019		
	कर पूर्व	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर
नियोजन पश्चात निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन (हानि) / लब्धि	(264)	-	(264)	(128)	37	(91)
कुल	**(264)**	**-**	**(264)**	**(128)**	**37**	**(91)**

आस्थगित कर देयता (निवल)

IV) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ निम्नलिखित के कारण है – रु. लाख में

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयताएँ		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ	
	31.03.2020	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
व्यापार प्राप्य - प्रावधान	(42)	(47)	-	-	(42)	(47)
अन्य प्रावधान	(260)	(425)	-	-	(260)	(425)
कर्मचारी अनुलाभ	(102)	(69)	-	-	(102)	(69)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	538	593	538	593
व्यापार देय	(6)	(6)	-	-	(6)	(6)
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण	-	-	277	335	277	335
बोनस	-	(1)	-	-	-	(1)
अधिवार्षिता	(12)	(7)	-	-	(12)	(7)
कर हानि	(54)	-	-	-	(54)	-
एमएटी क्रेडिट	(473)	(459)	-	-	(473)	(459)
कुल	**(949)**	**(1,014)**	**815**	**928**	**(134)**	**(86)**

टिप्पणी सं. **21**

III) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का संचलन

रु. लाख में

विवरण	01.04.2019 को शेष	2019-20 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019-20 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	31.03.2020 को शेष
व्यापार प्राप्य - प्रावधान	(47)	5	-	(42)
अन्य प्रावधान	(425)	165	-	(260)
कर्मचारी अनुलाभ	(69)	(33)	-	(102)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	593	(55)	-	538
व्यापार देय	(6)	-	-	(6)
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण	335	(58)	-	277
बोनस	(1)	1	-	-
अधिवार्षिता	(7)	(5)	-	(12)
एमएटी क्रेडिट	(459)	-	-	(473)
कर हानि	-	(54)	-	(54)
कुल	**(86)**	**(34)**	**-**	**(134)**

टिप्पणी – वर्ष के दौरान प्राप्त एमएटी क्रेडिट रु. 14 है जो पिछले वर्ष से संबंधित है। इसलिए, इसका 2019-20 के दौरान लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं है।

रु. लाख में

2019-20

vi) प्रभावी कर दर का समाधान

	विवरण	राशि	कर प्रभाव	कर दर
I	सामान्य दरों पर कर			
1	बही का लाभ	215		
2	कर की दर 26%		56	26.00
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान		-	
4	घटाएँ – आस्थगित कर		(34)	
5	पूर्व के वर्षों के कर		(52)	
6	करों का निवल प्रावधान		(86)	
	अंतर (2-6)		142	66.04%
	इनका प्रभाव			
	गैर कटौती योग्य व्यय		(142)	(66.04)
	कुल		(142)	(66.04%)

रु. लाख में

2018-19

vi) प्रभावी कर दर का समाधान

	विवरण	राशि	कर प्रभाव	कर दर
I	सामान्य दरों पर कर			
1	बही का लाभ	1,866		
2	कर की दर 29.12%		543	29.12
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान		734	
4	घटाएँ – आस्थगित कर (एमएटी क्रेडिट सहित)		(286)	
5	करों का निवल प्रावधान		448	24.01
6	करों का निवल प्रावधान		(95)	5.09%
	अंतर (2-5)			
	इनका प्रभाव			
	गैर कटौती योग्य व्यय		(95)	(5.09)
	कुल		(95)	(5.09%)

vii) कर की हानि को आगे ले जाया गया

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	कर की हानि को आगे ले जाया गया	209	कुछ नहीं

viii) ऐसी कोई मद नहीं है जिस पर आस्थगित कर सृजित किया गया।

टिप्पणी 22 – उधार

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
संबंधित पक्षकार से ऋण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)	-	622
कुल	-	**622**

विवरण के लिए टिप्पणी सं. 40(1) (ii) और (iii) देखें।
उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखे।

टिप्पणी **23** – सरकारी अनुदान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टीओटी (एक्सडी-4) परियोजना	1,328	1,328
कुल	**1,328**	**1,328**

टिप्पणी 24 – व्यापार प्राप्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(1) सूक्ष्म व लघु उद्यम को देय (2) सूक्ष्म व लघु उद्यम को छोड़कर लेनदारों को देय	25 513	80 415
कुल (1+2)	**538**	**495**

i) सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई)

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत सूचना उस सीमा तक प्रकट की गई है जिस सीमा तक ऐसे पूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें बकाया राशियों के विवरण इस प्रकार हैं –

विवरण	2019-20	2018-19
वर्षांत में देय और प्रदेय राशि - मूलधन - उक्त मूलधन पर ब्याज	- -	- -
नियत तारीख के बाद वर्ष के दौरान किए गए भुगतान - मूलधन - ब्याज	4 -	23 -
पहले से अदा किए गए मूलधन पर देय और प्रदेय ब्याज	-	-
वर्षांत में प्रोद्भूत कुल ब्याज तथा जो अदत्त रहा	-	-
ब्याज जो अनुवर्ती वर्षों में भी देय और प्रदेय उस तारीख तक बना रहा, जिस तारीख को उपर्युक्तानुसार देय ब्याज का वास्तविक भुगतान लघु उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ कर दिया गया।	-	-

(ii) चालू वर्ष से संबंधित पहले से अदा किए गए रु. 366/- मूलधन लिए देय व प्रदेय ब्याज को पूर्णांकित किया गया और यथा 31.03.2020को रु. 22,111/- को पूर्णांकित किया गया।

(iii) यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जिस सीमा तक कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के रूप में निर्धारित किया जा सका।

(iv) उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 25 – अन्य वित्तीय देयताएँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता (बीईएल से ऋण)	1,534	1,022
पूँजीगत लेनदार	255	1,715
बीईएल से लिए गए ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	7	16
ईएमडी जमा	2	2
सुरक्षा जमा	48	51
बकाया देयताएँ	137	86
एमएसएमई को देय ब्याज	-	-
कुल	**1,983**	**2,892**

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 21,745/- का एमएसएमई को देय ब्याज पूर्णांकित किया गया।

उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 26 – अन्य चालू देयताएं

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
ग्राहकों से अग्रिम		4		-
देय सांविधिक बकाया				
देय टीडीएस	28		33	
देय जीएसटी	-		463	
देय अन्य सांविधिक बकाया	12	40	10	506
कुल		**44**		**506**

1. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 37,994/- के ग्राहक के अग्रिम को पूर्णांकित किया गया।
2. चालू वर्ष से संबंधित रु. 18,558/- के देय जीएसटी को पूर्णांकित किया गया।

2. ग्राहकों से अग्रिम का संचलन

रु. लाख में

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष (क)	-	236
वर्ष के दौरान ग्राहकों से अग्रिम की प्राप्ति	4	-
कुल – (ख)	4	-
प्रारंभिक शेष से वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व के समक्ष समायोजित संविदा देयता	-	235
कुल -(C)	-	235
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	4	-

1. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 37,994/- के ग्राहक के अग्रिम को पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी 27 – प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान		1,001		1,461
कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान				
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ				
उपदान	23		16	
वार्षिक प्रोत्साहन	300		145	
बोनस का प्रावधान	96		168	
वेतन पुनरीक्षण	2		2	
	493	914	470	801
कुल		**1,915**		**2,262**

वर्ष **2019-20** के लिए प्रावधानों का संचलन

I) कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि	1,461	698
जोड़ें – वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	-	945
घटाएँ – वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	41	182
घटाएँ – वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	419	-
वर्ष के अंत में वहनीय राशि	**1,001**	**1,461**

देयता की प्रकृति तथा आर्थिक अनुलाभों के किसी परिणामी बहिर्वाह के अपेक्षित समय का संक्षिप्त विवरण -

1) वारंटी का प्रावधान -

उत्पादों की बिक्री के समय लागत प्रोद्भूत होता है। वारंट के प्रावधान विगत अनुभव पर आधारित हैं। ये प्रावधान बिक्री की तारीख से 24/48 महीनों की वारंटी अवधि पर किए जाते हैं। वर्ष के दौरान बिक्री संविदाओं के अनुसार अतिरिक्त वारंटी प्रावधान किए गए हैं।

प्रबंधन के आंकलन के आधार पर, वर्ष के दौरान वारंटी लागतों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

II) कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन	बोनस का प्रावधान	वेतन पुनरीक्षण
वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में वहनीय राशि	168	2	470
जोड़ें – वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	2	2	153
घटाएँ – वर्ष 2019-20 के दौरान प्रयुक्त राशि	74	2	130
घटाएँ – वर्ष 2019-20 के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	-	-	-
31.03.2020 के अंत में वहनीय राशि	**96**	**2**	**493**

कार्यपालकों के लिए वर्ष के दौरान वेतन पुनरीक्षण लागू करने के कारण रु. 48,255/- के बोनस का प्रावधान पूर्णांकित किया गया।

रु. लाख में

विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन	बोनस का प्रावधान	वेतन पुनरीक्षण
वर्ष 01.04.2018 के प्रारंभ में वहनीय राशि	87	2	270
जोड़ें – वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	93	2	260
घटाएँ – वर्ष 2018-19 के दौरान प्रयुक्त राशि	6	2	-
घटाएँ – वर्ष 2018-19के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	6	-	60
31.03.2019 के अंत में वहनीय राशि	**168**	**2**	**470**

कर्मचारी अनुलाभ

भारतीय ए.एस.-19

उपदान

भारतीय ए.एस. 19 द्वारा यथा अपेक्षित कर्मचारी अनुलाभ के विवरण इस प्रकार हैं –

निर्धारित अनुलाभ योजना

i) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ या हानि रु. 36/- (पिछले वर्ष रु. 17-/) है।

ii) अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ या हानि रु.264/- (पिछले वर्ष रु. 128/-) है।

iii) उपदान पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाला अनुलाभ है।

iv) उपदान योजना वित्त-पोषित है।

विवरण		उपदान	
(क)	निर्धारित देयता जो प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाते हैं, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के प्रारंभ में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	515	343
2	ब्याज की लागत	40	27
3	चालू सेवा लागत	24	16
4	विगत सेवा लागत	-	-
5	अंतरित देयताएँ / अधिग्रहण	-	-
6	(बाहर अंतिरत देयता / निर्निहितीकरण)	-	-
7	कांट-छांट पर हानि (लाभ)	-	-
8	निपटान पर प्रशमित देयताएँ	-	-
9	(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अदा किए गए अनुलाभ)	-	-
10	(निधि से अदा किए गए अनुलाभ)	(4)	-
11	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	-	-
13	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	210	117
14	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – अनुभव के कारण	59	12
15	तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	844	515

(ख)	निर्धारित देयता जो प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाते हैं, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	369	339
2	ब्याज की आय	29	26
3	नियोक्ताओं द्वारा वास्तविक अंशदान	145	4
4	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
5	अंतरित परिसंपत्तियाँ / अधिग्रहण	-	-
6	(बाहर अंतिरत परिसंपत्तियाँ / निर्निहितीकरण)	-	-
7	(निधि से अदा किए गए अनुलाभ)	(4)	-
8	(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ)	-	-
9	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव	-	-
10	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
11	योजित परिसंपत्तियों से प्राप्ति, ब्याज की आय को छोड़कर	5	-
12	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	544	369

(ग)	तुलन-पत्र में निर्धारित राशि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	(844)	(515)
2	वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	544	369
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (कमी)]	(300)	(146)
4	तुलन-पत्र में निर्धारित निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	(300)	(146)

(घ)	तुलन-पत्र में निर्धारित राशि दर्शाने वाली निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य और योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	(844)	(515)
2	वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	544	369
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (कमी)]	(300)	(146)
4	अनिर्धारित विगत सेवा लागत	-	-
5	तुलन-पत्र में निर्धारित निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	(300)	(146)

(ङ)	चालू अवधि के लाभ या हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	चालू सेवा लागत	25	17
2	ब्याज की लागत	11	-
3	विगत सेवा लागत	-	-
4	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
5	काट-छांट और निपटान पर हानि (लब्धि)	-	-
6	विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तनों का निवल प्रभाव	-	-
7	उपदान निधि में अंशदान के तहत लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित कुल व्यय	**36**	**17**

(च)	चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.) में निर्धारित व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि की देयता पर बीमांकक (लब्धि) / हानि	269	(128)
2	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति, ब्याज की आय सहित	(5)	-
3	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन	-	-
4	ओ.सी.आई. में निर्धारित अवधि के लिए निवल (आय) / व्यय	264	(128)

(छ) उपदान तथा अधिवार्षिता संबंधी वित्त-पोषित अनुलाभों के संबंध में, योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य "बीमाकर्ता द्वारा वस्थित निधियाँ" द्वारा निवेश की गई राशि को दर्शाते हैं।

(ज)	प्रधान बीमांकक की मान्यताएँ -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बट्टे की दर (%)	6.83%	7.76%
2	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय (%)	6.83%	7.76%
3	वेतन वृद्धि (%)	10.50%	8.00%
4	कर्मचारी आवर्त की दर	2.00%	2.00%

क) बट्टे की दर देयताओं की अनुमानित अवधि के लिए तुलन-पत्र की तारीख पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित बाज़ार प्राप्ति पर आधारित है।

ख) योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर – यह देयताओं की अनुमानित अवधि के दौरान निधि के निवेश पर अपेक्षित दीर्घकालिक औसत प्राप्ति दर की अपेक्षा पर आधारित है।

ग) वेतन वृद्धि दर – भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारकों को विचार में लिया जाता है।

(झ)	संवेदनशीलता विश्लेषण		
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	चालू मान्यताओं पर प्रक्षेपित अनुलाभ देयता	**844**	**515**
1	डेल्टा प्रभाव + बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	(70)	(42)
2	डेल्टा प्रभाव - बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	80	48
3	डेल्टा प्रभाव + वेतन वृद्धि की दर में 1% परिवर्तन	76	47
4	डेल्टा प्रभाव - वेतन वृद्धि की दर में 1% परिवर्तन	(69)	(43)
5	डेल्टा प्रभाव + कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	(15)	(1)
6	डेल्टा प्रभाव - कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	17	1

(ञ) उपदान निधि का निवेश बीमा कंपनी में किया गया है

छुट्टी नकदीकरण

भारतीय एएस-19

कंपनी में छुट्टी नकदीकरण की योजना है जो वित्त-पोषण रहित योजना है ।

इस योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी प्रत्येक श्रेणी के लिए यथा निर्धारित न्यूनतम छुट्टी को प्रतिधारित करने की शर्त पर, अपनी संचित वार्षिक छुट्टी का नकदकरण करने के हकदार हैं । नकदीकृत छुट्टी (मूल वेतन + डी.ए.)/30 प्रति दिन की दर से देय होती है।

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति जैसे वार्षिक छुट्टी के भुगतान की देयता का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर यथा 31.03.2020 को रु. 393/ है। बीमांकिक मूल्यांकन पीयूसी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है ।

विवरण	**31.03.2020**	**31.03.2019**
सेवानिवृत्ति की आयु	58 वर्ष	58 वर्ष
संनिघर्षण दर	2%	2%
भावी वेतन वृद्धि	10.50%	8%
बट्टे की दर	6.83%	7.76%
मृत्युदर टेबल	भारतीय आश्वस्त मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय आश्वस्त मृत्यु दर (2006-08)

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियों पर देयता की राशि को बीमांकिक की रिपोर्ट के आधार पर चालू तथा गैर-चालू के बीच विभाजित किया गया है ।

चालू देयता	:	रु. 23/-
गैर चालू देयता	:	रु. 370/-
कुल	:	रु. 393/-

टिप्पणी 28 – चालू कर देयताएँ रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	-	266
आय कर पर ब्याज	-	19
कुल	-	**285**

टिप्पणी 29 – प्रचालन से राजस्व

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
(क) उत्पादों की बिक्री	3,697		10,273	
(ख) सेवाओं की बिक्री	24	3,721	52	10,325
(ग) अन्य प्रचालनीय राजस्व				
(i) अतिरेक प्रावधान जिसे पुनरांकित किया गया				
- प्रतिस्थापन की वारंटी	419		-	
- पीपीआई और पीआरपी	-		6	
- वेतन पुनरीक्षण	-		60	
- अन्य	9	428	9	75
(घ) सरकारी अनदान		1,338		1,329
कुल राजस्व (क+ख+ग+घ)		**5,487**		**11,729**

i) 2019-20 के लिए ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के अलग-अलग आंकड़े

रु. लाख में

विवरण	भारत सरकार / पीएसयू				अन्य
	रक्षा	गैर-रक्षा	देशीय	निर्यात	समंजन कारोबार
उत्पादों की बिक्री	3,681	-	16	-	-
सेवाओं से आय	17	7	-	-	-
कुल	**3,698**	**7**	**16**	-	-

ii) 2018-19 के लिए ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के अलग-अलग आंकड़े

रु. लाख में

विवरण	भारत सरकार / पीएसयू				अन्य
	रक्षा	गैर-रक्षा	देशीय	निर्यात	समंजन कारोबार
उत्पादों की बिक्री	9,207	2	1,064	-	-
सेवाओं से आय	-	52	-	-	-
कुल	**9,207**	**54**	**1,064**	-	-

iii) 2019-20 के लिए संविदा कीमत से लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राजस्व का समाधान

रु. लाख में

विवरण	राशि	राशि
लाभ व हानि खाते के विवरण के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	3,697	
सेवाओं से आय	24	
कुल (क)		3,721
समायोजन (ख)		-
संविदा कीमत (क-ख)	-	**3,721**

iv) 2018-19 के लिए संविदा कीमत से लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राजस्व का समाधान

रु. लाख में

विवरण	राशि	राशि
लाभ व हानि खाते के विवरण के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	10,273	
सेवाओं से आय	52	
कुल (क)		**10,325**
समायोजन (ख)		-
संविदा कीमत (क-ख)		**10,325**

iii कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना

क. अधिकांश संविदा कार्य-निष्पादन देयता 'एक निश्चित समय बिंदु' पर पूरी की जाती है जो प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने पर निर्धारित की जाती है। इसके लिए विचार किया जाने वाले एक प्रमुख संसूचक इन्को शर्तों के आधार पर ग्राहक को उल्लेखनीय जोखिम और प्रतिफल का अंतरण है।

ख. कंपनी की संविदा में सामान्य रूप से कोई उल्लेखनीय वित्तीय घटक नहीं होता और ग्राहक से प्राप्त कोई अग्रिम भुगतान तथा / या उनके द्वारा प्रतिधारित राशि संविदा के दोनों पक्षकारों के हितों की रक्षा करने के लिए है।

ग. कंपनी के विक्रयावर्त में मुख्य रूप से इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों की आपूर्ति शामिल है।
घ. ग्राहकों के साथ की गई ऐसी संविदाएँ जिनमं सामान्य रूप से कोई वापसी / धन वापसी खंड नहीं है।
ङ. प्रदान की गई वारंटी प्राथमिक रूप से कार्य-निष्पादन वारंटी की प्रकृति की है।
च. 'एक निश्चित समय बिंदु' पर पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व निर्धारण के लिए, यह तय करने के लिए क्या ग्राहक ने "परिसंपत्ति पर नियंत्रण" प्राप्त किया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का उपयोग किया जाता है –

- संविदा के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- स्वत्व ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- स्वत्व के पास परिसंपत्ति के भुगतान का वर्तमान अधिकार है

छ. लेनदेन कीमत सामान्य रूप से ग्राहक के साथ की गई संविदा के आधार पर निर्धारित होती है।
ज. चालू / पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद-इतर प्रतिफल प्राप्त नहीं किया / दिया नहीं गया।

टिप्पणी 30 – अन्य आय रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मीयादी जमा पर ब्याज	190	99
ब्याज - अन्य	3	13
विदेशी मुद्रा के लेनदेन व रूपांतरण पर निवल लब्धि (निवल) @	-	192
विविध आय	4	7
रद्दी की बिक्री	6	2
कुल	**203**	**313**

@ विदेशी मुद्रा विनिमय लब्धि / (हानि) ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्ट करने की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होने वाले दर विचलन के कारण है।

टिप्पणी 31 – खपत सामग्री की लागत रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1) खपत कच्चा माल और घटक		
प्रारंभिक स्टॉक	936	607
जोड़ें - खरीद	1,698	3,831
	2,634	4,438
घटाएँ – अंतिम स्टॉक	699	936
उप – कुल (1)	1,935	3,502
2) खपत स्टोर्स और उपभोज्य		
प्रारंभिक स्टॉक	204	121
जोड़ें - खरीद	156	364
घटाएँ - अंतिम स्टॉक	360	485
उप कुल (2)	237	204
	123	**281**
कुल (1+2)	**2,058**	**3,783**

टिप्पणी 32 – तैयार माल, व्यापारगत माल औ चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	1,712		2,257	
अंतिम स्टॉक	2,945	(1,233)	1,712	545
तैयार माल				
प्रारंभिक स्टॉक	-		-	
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-
कुल घटौती / (बढ़ोत्तरी)		**(1,233)**		**545**

टिप्पणी 33 – कर्मचारी अनुलाभ व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन व भत्ते		1,065		1,138
छुट्टी नकदीकरण		181		94
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान				
भविष्य निधि	74		63	
अधिवार्षिता निधि	21		12	
उपदान	36		17	
अन्य निधियाँ	4	135	4	96
पी.एफ. पर प्रशासनिक तथा ईडीएलआई प्रभार		4		4
स्टाफ कल्याण व्यय		24		31
कुल		**1,409**		**1,363**

टिप्पणी 34 – वित्त लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज - अन्य	-	1
बीईएल द्वारा अल्पकालीन वित्त-पोषण पर ब्याज	181	221
बीईएल से ऋण पर ब्याज	49	133
नकद क्रेडिट पर ब्याज	-	7
क्रेता क्रेडिट पर ब्याज	-	1
आय कर पर ब्याज	-	19
आईजीएसटी और बीसीडी के विलंबित भुगतान पर उगाही ब्याज	-	1
एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर उगाही ब्याज	-	-
उप-कुल (1)	**230**	**383**
अन्य उधार की लागत		
ऋण प्रसंस्करण प्रभार	34	26
उप-कुल (2)	**34**	**26**
कुल (1+2)	**264**	**409**

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 45,242/- की अन्य ब्याज को पूर्णांकित किया गया।
2. चालू वर्ष से संबंधित रु. 8,274/- के आईजीएसटी और बीसीडी के विलंबित भुगतान पर ब्याज को पूर्णांकित किया गया।
3. चालू वर्ष से संबंधित रु. 366/- और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 6,595/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया।
4. वर्ष के दौरान बीईएल से ऋण पर पूँजीकृत ब्याज की राशि रु.126/-(पिछले वर्ष 131/-) है जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया। पूँजीकरण की दर 7.74% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष 8.86% प्रति वर्ष) है।

टिप्पणी 35 – मूल्यह्रास / ह्रास

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	877	851
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	1,250	1,250
कुल	**2,127**	**2,101**

टिप्पणी 36 – तकनीकी सहायता शुल्क (एक्स आर – 5 टीओटी)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सहायता शुल्क	250	318
कुल	**250**	**318**

टिप्पणी 37 – अन्य व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली और ईंधन	264	299
जल प्रभार	3	3
रॉयल्टी	19	19
यात्रा व वाहन	25	23
संप्रेषण	5	7
मुद्रण व लेखन सामग्री	4	5
बीमा	15	13
दर व कर	21	31
बैंक प्रभार	9	9
कानूनी व पेशेवर प्रभार	22	19
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि (निवल)**	26	-
अचल परिसंपत्तियों को बट्टा खाते में डालना	-	1
मरम्मत		
मशीनरी	7	98
भवन	13	3
सामान्य रख-रखाव व्यय	144	133
संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	-	21
अशोध्य ऋण	-	1
संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	-	2
वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत का प्रावधान	-	945
विविध व्यय	23	25
कुल	**600**	**1,657**

1. ** विदेशी मुद्रा विनिमय की हानि ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्ट करने की तारीख के बीच किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले दर विचलन के कारण है।

टिप्पणी 38 (1) – प्रति शेयर अर्जन

(क) मूल व परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ व हानि के विवरण में प्रकट किए गए वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ है।

(ख) मूल व परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर का परिकलन करने में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या 7539045 शेयर है।

रु. लाख में

प्रति शेयर अर्जन	2019-20	2018-19
सतत् प्रचालनों से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	3.99	21.05
असतत् प्रचालनों से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	-	-
मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि	301	1,418
मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	75,39,045	67,37,903

टिप्पणी 38 (2) – सीएसआर व्यय संबंधी प्रकटण

रु. लाख में

विवरण	नकद में	नकद में अदा किया जाना है	कुल	खर्च न की गई राशि का विनियोजन	कुल सीएसआर अनुदान
i. किसी परिसंपत्ति पर निर्माण/अर्जन	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
ii. उक्त (i) के अलावा प्रयोजन	-	-	-	27	27
	-	-	-	18	18

टिप्पणी सं. 39
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीति

कंपनी वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि के जोखिम और बाज़ार के जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज दरों तथा कीमत के जोखिम का उतार-चढ़ाव) के अधीनहै।

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। इस प्रयोजनार्थ, मंडल ने एक जोखिम प्रबंध समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंध नीतियों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी ने ऐसी संस्थापित जोखिम प्रबंध नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना निर्धारित की गई है और जिसमें वित्त तथा प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता और उपचार करने का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

(ii) बाज़ार का जोखिम

बाज़ार का जोखिम वह जोखिम होता है जो बाज़ार की कीमतों में परिवर्तन से होता है जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय की दर, ब्याज की दर, जो कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय विलेखों के मूल्य को प्रभावित करते हैं । बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्राप्तियों को अनुकूलतम करते हुए स्वीकार्य परिमापियों के भीतर बाज़ार के जोखिमों का प्रबंध और नियंत्रण करना होता है।

कंपनी के कार्यकलापों से कंपनी प्राथमिक रूप से, विदेशी मुद्रा विनियम की दरों तथा ब्याज की दरों संचलनों में परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिम के अधीन होती है (मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम पर नीचे दी गई टिप्पणियाँ देखें)।

(iii) मुद्रा का जोखिम

बेलॉप यूएस डॉलर (यूएसडी), यूरो, एसजीडी, सीएचएफ जैसी विदेशी मुद्राओं में किए गए खरीद और बिक्री से संबंधित प्राथमिक विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से पैदा होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है। विद्यमान तथा भावी वाणिज्यिक लेनदेनों तथा कंपनी की कार्यशील मुद्रा (आईएनआर) से अलग मुद्रा में निर्धारित परिसंपत्तियों और देयताओं से विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पैदा होते हैं।

कंपनी की जोखिम प्रबंध समिति नियमित रूप से इस जोखिम के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र की समीक्षा करती है।

कंपनी को निर्यात से होने वाली प्राप्तियाँ जिन्हें यूएसडी में निर्धारित किया जाता है, निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी) में प्राप्त किए जाते हैं जिसका प्रयोग यूएसडी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए किया जाता है और इस तरह, निर्यातों पर मुद्रा संबंधी जोखिम को कम किया जाता है।

ग्राहक के आदेशों के मामले में, संविदा में ईआरवी खंड शामिल किया जाता है जिसमें विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का जोखिम समाप्त किया जाता है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान की व्युत्पन्नी संविदा नहीं की है। यथा 31 मार्च 2020 को, कोई बकाया व्युत्पन्नी संविदा नहीं था।

मुद्रा जोखिम पर कंपनी का एक्सपोज़र नीचे दिया गया है - रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	यूरो	यूएसडी	यूरो	यूएसडी
बैंक शेष	-	-	-	-
₹	-	-	-	-
बैंक ऋण - रक्षित	-	-	-	-
₹	-	-	-	-
व्यापार देय	8/-	-	25/-	-
₹	634/-	16/-	1,812/-	25/-
निर्धारित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल एक्सपोज़र	8/-	-	25/-	-
₹	**634/-**	16/-	**1,812/-**	**25/-**

1 पिछले वर्ष से संबंधित यूएसडी 713 – रु. 48,767/- को पूर्णांकित किया गया।
2. चालू वर्ष से संबंधित व्यापार देय यूएसडी 22,218/- और पिछले वर्ष से संबंधित यूएसडी 34,596 को पूर्णांकित किया गया।
3. चालू वर्ष से संबंधित निवल एक्सपोज़र यूएसडी 22,218/- और पिछले वर्ष से संबंधित यूएसडी 33,383/- को पूर्णांकित किया गया

(i) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता

यथा 31 मार्च 2020 को प्रमुख मुद्रा यूरो के समक्ष भारतीय रुपए के औचित्यपूर्ण संभावित सशक्तीकरण / (दुर्बलीकरण) से विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग के वित्तीय विलेखों को प्रभावित किया होगा और नीचे दी गई राशियों तक लाभ व हानि तथा इक्विटी को प्रभावित किया होगा। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्त, विशेषकर ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और इसमें पूर्वानुमान करने योग्य किसी विक्री या खरीद के प्रभाव को महत्ता नहीं दी गई है –

रु. लाख में

विवरण	लाभ और इक्विटी पर प्रभाव	
	31.03.2020	31.03.2019
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	-34.62	-98.09
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	34.62	98.09

(ii) ब्याज दर की जोखिम

ब्याज की दर का जोखिम उचित मूल्य वाला ब्याज दर या नकद प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य वाला ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेशों के उचित मूल्यों में परिवर्तनों का जोखिम होता है। नकद प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम होता है जो अस्थावी ब्याज वाले विलेखों की भावी नकद प्राप्ति, बाज़ार की ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण परिवर्तित होगी।

क) कंपनी को बीईएल द्वारा रु. 5,000 की कार्यशील पूंजी का ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से प्रभारित होता है।

ख) कंपनी को बीईएल द्वारा एक्सआर-5 परियोजना के निष्पादन के लिए रु. 4,600 का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से अथवा पाँच वर्षों की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, प्रभारित होता है।

ग) बेलॉप को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600 की निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी सीमा भी मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.80% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.70% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है। एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर अपने बेस दर से जुड़ी होती हैं जिसमें उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। यथा 31 मार्च 2020 को कुछ नहीं है जिसके संबंध में देय ब्याज एसबीआई और एक्सिस बैंक की बेस दर (निबंधन व शर्तों के अनुसार, एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों आवधिक आधार पर प्रभारित ब्याज को दोबारा निर्धारित करने के पात्र हैं) पर आधारित है।

(iii) चलनिधि का जोखिम

चलनिधि का जोखिम ऐसा जोखिम होता है जिसका सामना कंपनी को तब करना पड़ता है जब उसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सुपुर्द करते समय वित्तीय देयताओं से जुड़ी देयताओं को पूरा करते समय कठिनाई होती है या ऐसा जोखिम जब कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करने के लि आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाते समय सामना करना पड़ता है। चलनिधि के जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र बहुत कम होता है क्योंकि कंपनी में एक दूरदर्शी चलनिधि जोखिम प्रबंध प्रक्रिया विद्यमान होती है जिसमें देय दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकद बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है। निरंतर वित्त-पोषण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के पास चालू कार्यशील पूँजी संबंधी ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने की नकद क्रेडिट सुविधा की प्रकृति में अल्पकालीन बैंक सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।

कंपनी मुख्यत: आंतरिक रूप से सृजित नकद प्राप्ति द्वारा अपनी चलनिधि की आवश्यकताएं पूरी करती है जिसकी निगरानी देयताओं को पूरा करने के लिए, अपेक्षित नकद प्राप्ति का आंकलन करते हुए की जाती है।

प्रकट की गई राशियाँ संविदाजन्य प्रकट न की गई नकद प्राप्तियाँ होती हैं। नीचे दिए गए टेबल में संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है।

टिप्पणी सं. 39 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन – चलनिधि जोखिम (बिंदु सं. VI)

(I) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता: -

नीचे दिए गए टेबल में सभी वित्तीय देयताओं को उनकी संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर संबंधित परिपक्वता समूह में दर्शाया गया है। यहाँ प्रकट की गई राशियाँ सकल तथा प्रकट न की गई नकद प्राप्तियाँ हैं।

यथा 31 मार्च 2020 को रु. लाख में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	उधार	-	-	-	99	-	99
II	दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वताएँ (बीईएल से ऋण)	383	383	768	-	-	1,534
III	व्यापार देय	538	-	-	-	-	538
IV	अन्य वित्तीय देयताएँ -						
क	अन्य देय	255	-	-	-	-	255
ख	सुरक्षा जमा	50	-	-	-	-	50
ग	बकाया व्यय	137	-	-	-	-	137
घ	उधार पर ब्याज	7	-	-	-	-	7
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-

नोट – चालू वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।

यथा 31 मार्च 2019 को रु. लाख में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	उधार	312	310	-	1,293	-	1,915
II	दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वताएँ (बीईएल से ऋण)	-	255	767	-	-	1,022
III	व्यापार देय	495	-	-	-	-	495
IV	अन्य वित्तीय देयताएँ -						
क	अन्य देय	1,715	-	-	-	-	1,715
ख	सुरक्षा जमा	53	-	-	-	-	53
ग	बकाया व्यय	86	-	-	-	-	86
घ	उधार पर ब्याज	16	-	-	-	-	16
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-

नोट – चालू वर्ष से संबंधित रु. 21,745/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।

(vii) क्रेडिट का जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जिसमें प्रति पक्षकार अपनी संविदाजन्य देयताओं में चूक करता है जिसके कारण कंपनी को वित्तीय हानि होती है। क्रेडिट का जोखिम ग्राहकों, बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य, सुरक्षा जमा और ऋण के एक्सपोज़र से पैदा होता है।

कंपनी के क्रेडिट जोखिम का प्रबंध जोखिम प्रबंध समिति के निर्देशों से कार्पोरेट स्तर पर किया जाता है।

सरकारी / सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि देय है जिसके कारण कंपनी में ऐसी लेनदारियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार लेनदारियों के मामले में, आम तौर पर ग्राहक द्वारा संस्थापित साख-पत्र के आधार पर बिक्री की जाती है और इस तरह क्रेडिट का जोखिम कम किया जाता है।

बहुत विशेष मामलों में मंडल की अनुमति प्राप्त करने के बाद बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान किए जाते हैं लेकिन कुल भुगतानों की तुलना में अग्रिम भुगतान की राशि बहुत कम होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनर्जक हानियाँ (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों की उगाही योग्य परिनिर्धारित हानियों को बताती हैं) संविदाजन्य निबंधनों आदि को ध्यान में रखने तथा अपेक्षित क्रेडिट हानि को प्रतिबिंबित करने के अन्य संसूचकों को ध्यान में रखने के बाद हिसाब में लिया गया है।

बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य अल्पकालिक जमाओं के रूप में हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की है। कंपनी अपनी अल्पकालिक जमा राशियाँ केवल राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा उनके संघीय बैंकों में ही रखती है । कंपनी को जमा राशियों पर बैंकों की चूक के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम नाममात्र की है क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा धारित मीयादी जमा राशियाँ शामिल हैं।

(viii) पूँजी प्रबंधन

कंपनी का पूँजी प्रबंधन उद्देश्य एक मज़बूत पूँजी आधार तथा अनुकूलतम पूँजी संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारकों के लिए सक्रिय औरलाभप्रद व्यवसाय बना रहे और इस रूप में जारी रखने में कंपनी की क्षमता सुनिश्चित हो सके। ऋण के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए कंपनी संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। एक्सआर-5 परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऋण के माध्यम से राइट इश्यू द्वारा वित्त-पोषण जुटाया है।

कंपनी की योजना लाभांश वितरण नीति का पालन करने की है जो लाभांश का भुगतान करने और अधिशेष को भावी विकास के लिए प्रतिधारित करने और शेयर धारकों की संपदा बढ़ाने पर आधारित है।

यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी का उधार इस प्रकार है -

रु. लाख में

क्र. सं..	विवरण	31 मार्च, 2020 को बकाया राशि, रु. लाख में	अभ्युक्तियाँ
1	बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण	कुछ नहीं	तुलन-पत्र की टिप्पणी सं. 22 देखें
2	बीईएल से दीर्घकालीन ऋण (एक्सआर-5 परियोजना)	1,633	तुलन-पत्र की टिप्पणी सं. 18 और 25 देखें

गियरिंग अनुपात इस प्रकार है -

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
निवल कर्ज	1,633	2,937
कुल इक्विटी	23,528	21,196
निवल कर्ज से इक्विटी अनुपात	0.07	0.14

टिप्पणी सं. 39- वित्तीय जोखिम प्रबंधन (ix)
वित्तीय विलेख – उचित मूल्य के मापन

1. लेखांकन का वर्गीकरण और उचित मूल्य
निम्नलिखित टेबल में वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि और उचित मूल्य दर्शाए गए हैं -

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
		FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत	FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
I	व्यापार प्राप्य	-	-	74	-	-	956
II	ऋण						
A	सुरक्षा जमा	-	-	36	-	-	36
III	नकद व नकद समतुल्य	-	-	2,625	-	-	2,869
IV	अन्य बैंक शेष	-	-	265	-	-	2,442
V	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
क	मीयादी जमा	-	-	71	-	-	89
ख	मीयादी जमा पर ब्याज	-	-	20	-	-	12
	कुल	-	-	**3,091**	-	-	**6,404**

ख) वित्तीय देयताएँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
		FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत	FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय देयताएँ						
I	उधार	-	-	99	-	-	1,915
II	दीर्घकालीन कर्ज पर चालू परिपक्वताएँ (बीईएस से ऋण)	-	-	1,534	-	-	1,022
III	व्यापार देय	-	-	538	-	-	495
IV	अन्य वित्तीय देयताएं						
क	अन्य देय	-	-	255	-	-	1,715
ख	सुरक्षा जमा	-	-	50	-	-	53
ग	बकाया व्यय	-	-	137	-	-	86
घ	उधार पर ब्याज	-	-	7	-	-	16
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	**2,620**	-	-	**5,302**

टिप्पणी – चालू वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया (पिछले वर्ष रु. 21,745/-)

लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 40

1 उधार

i) बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण

क) कंपनी को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकरों और एक्सिस् बैंक द्वारा रु. 4,600/- करोड़ की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। ब्याज की दर 8.80% प्रतिवर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.70% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है।

ख) उपर्युक्त स्वीकृत सीमाएँ नीचे दर्शाए गए अनुसार पहले प्रभार द्वारा कच्चे माल, चालू स्टॉक, तैयार स्टॉक, भंडार एवं पुर्जे, पुस्त ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित कलपुर्जों को छोड़कर) के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित भी हैं। स्वीकृत सीमाएँ भूमि व भवन पर साम्य गिरवी द्वारा समरूप प्रभार द्वारा भी रक्षित हैं।

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	वस्तुसूचियाँ	4,222	2,966
2	व्यापार प्राप्य	74	956
3	नकद व नकद समतुल्य	2,625	2,869
4	बैंक शेष	265	2,442
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	20	13
6	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	369	284
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**7,575**	**9,530**

ii) बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण रु. 50 करोड़

बेलॉप ने 2019-20 के दौरान रु. 622/- के बकाया कार्यशील पूँजी ऋण का चुकतान किया। यथा 31.03.2020 को बकाया ऋण राशि रु. कुछ नहीं (रु. 622/-) है।

iii) बीईएल से एक्सआर-5 परियोजना के लिए मीयादी ऋण

बीईएल ने बेलॉप को एक्सआर-5 परियोजना के लिए रु. 4,600 का मीयादी ऋण मंजूर किया है। पुनर्निर्धारण के बाद, मूलधन का भुगतान अगस्त 2019 से 36 समान किस्तों में देय हैं। यथा 31.3.2020 को बकाया ऋण राशि रु. 1,633/- (2,315/-) है। बीईएल द्वारा पिछले महीने तक बैंकों के पास जमा राशियों पर अर्जित लब्धि की दर पर अथवा पाँच वर्ष की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनसे जो भी अधिक हो, मासिक रूप से ब्याज प्रभारित किया जाता है।

2. एक्सआर-5 परियोजना का विवरण

वर्ष के दौरान एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। अदा किया गया लाइसेंस शुल्क विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान परियोजना के अधीन दी गई तकनीकी सहायता को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

एक्सआर-5 परियोजना का वित्त-पोषण

ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आई.आई.ट्यूबों के विनिर्देश बढ़ाने के लिए, बेलॉप ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों की टीओटी के लिए मेसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ'एक करार किया । बीईएल इक्विटी के ज़रिए 22.95 मिलियन यूरो की मूल परियोजना लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित है कि संबंधित कर और शुल्क तथा बेलॉप में अवसंरचना के कोटि उन्नयन के प्रति परियोजना लागत की शेष राशि जो लगभग रु. 4,600 बनती है, ऋण द्वारा पूरी की जाएगी ।

राइट इश्यू

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्त-पोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों के 11,65,716 (5,89,176) राइट इश्यू जारी किए जिसका अभिदान किया गया और शेयर आबंटित किए गए।

ऋण प्राप्त करना

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्तपोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने इस परियोजना के वित्त-पोषण हेतु बीईएल से रु. 320/- (रु. 817/-) का ऋण प्राप्त किया (रु. 4,600 के स्वीकृत मीयादी ऋण के समक्ष)।

3. पूँजी खाते में निष्पादित करने के लिए शेष, जिसका प्रावधान नहीं किया गया, संविदाओं की प्राक्कलित राशि रु. 3/- (पिछले वर्ष रु. 17/-) है।

4. टीओटी (एक्सडी-4) के संबंध में अनुदान अंतरण के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	रु. लाख में	
		2019-20	2018-19
1	मूल्यह्रास	550	538
2	लाइसेंस शुल्क का ह्रास	1,250	1,250
3	कुल	**1800**	**1,788**
4	अनुदान अंतरण का %	**74.30%**	**74.30%**
5	अनुदान अंतरण (3*4)	**1,338**	**1,329**

बेलॉप ने उच्चतर विनिर्देश के आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु मे.फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया है जो अनुदान द्वारा वित्त-पोषित है। अनुदान से टीओटी की लागत का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में उपगत व्ययों का 74.30% है जिसे लाभ व हानि के विवरण में अंतरित किया गया है।

5. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी का निवल) रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.50	1.50
	कुल	**1.50**	**1.50**

6. संबंधित पक्षकार का प्रकटण -

क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध जहाँ नियंत्रण मौजूद है, की प्रकृति –

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	धारक कंपनी

ख) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन रु. लाख में

लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन की राशि	लेनदेन की राशि	वर्ष 31.03.2020 की समाप्ति पर बकाया राशि		वर्ष 31.03.2019 की समाप्ति पर बकाया राशि	
	2019-20	2018-19				
	(रु)	(रु)	नामें (रु)	जमा (रु)	नामें (रु)	जमा (रु)
बिक्री	566	3,695	-	-	-	-
खरीद	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया ब्याज	356	485	-	-	-	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1	1	-	1	-	1
इक्विटी अंशदान (सुरक्षा प्रीमियम सहित)	2,833	1,449	-	17,265	-	14,432
अदा किया गया लाभांश	426	346	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य**	-	-	213	-	517	-
बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण	-	-	-	-	-	622
बीईएल से मीयादी ऋण	-	-	-	1633	-	2,315
बीईएल के ऋण पर ब्याज (कार्यशील पूंजी)	-	-	-	-	-	3
बीईएल से मीयादी ऋण पर ब्याज	-	-	-	7	-	13

** देनदारों में रु. 140/- (पिछले वर्ष रु. 140/-) शामिल है जिसके लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है।

i) बेलॉप ने 30 अप्रैल 2013 को टीओटी की रु. 104.16 करोड़ की लागत का अस्थाई वित्त-पोषण करने के लिए बीईएल के साथ करार किया है और इस करार के निबंधनों के अनुसार बेलॉप बीईएल को इमेज इंटेन्सीफायर II ट्यूबों की आपूर्ति के समक्ष कीमत में बट्टे के रूप में उक्त निधि की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

ii) बीईएल यानी धारक कंपनी के दो अधिकारी प्रतिनियुक्त पर बेलॉप में हैं और वर्ष के दौरान उनके वेतन आदि का भुगतान बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड द्वारा नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार किया गया।

iii) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ने बीईएल द्वारा नियुक्त सतर्कता अधिकारी को अदा किए गए आनुपातिक वेतन को भी वहन किया है।

<u>सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ लेनदेन</u>

चूँकि बेलॉप रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, इसने सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विस्तृत प्रकटण करने से छूट प्राप्त की है। यथा 31.03.2020 को व्यापार प्राप्यों के रूप में रु. 20/- (पिछले वर्ष रु. 600/-) की राशि बकाया है।

ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	पदनाम
1	श्री एम वी गौतम	सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
3	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त),बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
4	श्री आर एन वग्दलकर (31.05.2019 तक)	निदेशक (एच.आर.), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
5	श्री महेश वी (05.07.2019 से)	निदेशक (आर एंड डी), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
6	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बेलॉप
7	सुश्री प्रिया एस अय्यर	कंपनी सचिव एवं सीएफओ, बेलॉप

उपर्युक्त पाँच निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं और वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उन्हें कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया। बेलॉप के सीईओ और कंपनी सचिव एवं सीएफओ को अदा किया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया है –

क्र.सं.	विवरण	अल्पकालिक अनुलाभ		सेवानिवृत्ति अनुलाभ		कुल	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	38	36	7	7	45	43
2	सुश्री प्रिया एस अय्यर	20*	10	2	2	22	12

* इसमें 01.01.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि का बकाया शामिल है।

7. "प्रचालनीय खंड" पर भारतीय-ए.एस. लेखा मानक के अनुसार कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित अनुसार, रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को खंडवार रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।
8. कंपनी जो एकल सम्मिश्रित नकद सृजन करने वाली यूनिट है, ने आंतरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर यह पाया है कि इसकी परिसंपत्तियों की अनर्जकता का संकेत नहीं है, इसलिए, इसके लिए कोई अलग प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।
9. कंपनी ने वर्ष के दौरान अनुसंधान व विकास पर खर्च किया है जो संबंधित प्राकृतिक वर्गीकरण अनुसार हैं जिन्हें नीचे दिए गया है-

विवरण	2019-20	2018-19
सामग्री	40	1
पूँजीगत व्यय	-	60
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अनुलाभ	2	-
सकल व्यय	**42**	**61**

10. गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.04.2017 से देय है। बेलॉप के कर्मचारी संघ और वेतन पुनरीक्षण वार्ता समिति के बीच वार्ता का निष्कर्ष लंबित होने के कारण, प्रबंधन के प्राक्कलनों के आधार पर दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी गैर-कार्यपालकों को बकाया राशि के भुगतान का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।
11. दिनांक 01.04.2017 से इसके कार्यपालकों के लिए एक नई अधिवार्षिता योजना को मंडल ने अनुमोदित किया है जिसे रक्षा मंत्रालय को उसके अनुमोदन हेतु पेश किया गया है।

12. आकस्मिक देयताएँ

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
क)	बकाया साख-पत्र	35	95
ख)	बकाया बैंक गारंटी (इसके समक्ष कंपनी द्वारा प्रति गारंटी दी गई है)	83	354
ग)	कंपनी द्वारा विवादित चुंगी मांग जिसे वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुणे न्यायालय के खंडपीठ में जमा कराया गया । वर्तमान में यह मामला लघु मामला न्यायालय, पुणे में प्रलंबित है।	14	14
घ)	कंपनी द्वारा विवादित सेवा कर	198	199
ङ)	कंपनी द्वारा विवादित बिक्री कर	कुछ नहीं	1
च)	31 मार्च तक अनंतिम निर्णीत हर्जाना जो ग्राहक के अनिष्पादित आदेशों से संबंधित है जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो चुकी है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
छ)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10ख के तहत प्राप्त अनुलाभों के संबंध में कंपनी के पक्ष में आईटीएटी द्वारा दिए गए आदेश के समक्ष मुंबई उच्च न्यायालय में आय कर विभाग द्वारा दाखिल अपील***	कुछ नहीं	387
ज)	कुल (क से ज)	**330**	**1,050**

*** यह अपील मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है।

13. शेष कार्य-निष्पादन देयता का मूल्य (निष्पादित किए जाने वाले लंबित आदेश)

ग्राहकों की संविदाओं से अनिर्धारित राजस्व जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया या नहीं पूरा किया गया (निष्पादित किए जाने वाले लंबित आदेश)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	3 से अधिक वर्ष
अनिष्पादित आदेश मूल्य	470	470	-	-	-
कुल	**470**	**470**	**-**	**-**	**-**

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक माना गया, पुन:समूहित / पुन:वर्गीकृत किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

15. वित्तीय विवरणों में दिए गए सभी आंकड़ों को उनके निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

1. अभिमत

हमने **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड** के संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 का तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण और उस वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्राप्ति विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल है।

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना इस प्रकार प्रदान करते हैं जैसी अपेक्षा की गई है और भारतीय ए.एस. सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कार्यकलापों, उसकी नकदी प्राप्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की सही और उचित स्थिति प्रदान करते हैं।

2. **अभिमत का आधार**

हमने भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम (एस.ए.) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इसके अलावा, उन मानकों के तहत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व में वर्णित है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत, भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संगत स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ-साथ, हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वार जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

3. **स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जिनमें अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के **नियम 7** के साथ पढ़ा जाना है, में वर्णित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए.एस.) शामिल हैं, के अनुसार अन्य व्यापक आय, नकद प्राप्ति तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन की सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी का परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने, न्यायोचित एवं दूरदर्शी निर्णय और प्राक्कलन करने के लिए तथा ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करने वाले तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त, कपट या त्रुटि द्वारा, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं, शामिल है।

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की सक्रिय और लाभकारी संस्थान के रूप में जारी करने की उसकी क्षमता का आंकलन करने, सक्रिय और लाभकारी संस्थान संबंधी मामलों, यदि लागू हो, को प्रकट करने और लेखा के सक्रिय एवं लाभप्रद आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन अन्यथा कंपनी को परिसमाप्त करने या कामकाज बंद करने का आशय न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प न हो।

मंडल के ऐसे निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रगति की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या कपट के कारण हों, और लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार हों। औचित्यपूर्ण आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में हमेशा विद्यमान महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों का पता लगाया जाएगा। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटियों से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें वैयक्तिक रूप से या सम्मिलित रूप से, महत्वपूर्ण माने जाने पर, वे इन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

4. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के परिप्रेक्ष्य में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("दि ऑर्डर") में की गई अपेक्षा अनुसार, हम अनुलग्नक-क में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4, जहां तक लागू हों, में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ख) हमारे विचार से, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन-पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, नकद प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का पालन करते हैं;

(ङ) 31 मार्च 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर जिसे निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किया गया है, यथा 31 मार्च 2020 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय दक्षता के संबंध में, "अनुलग्नक-ख" में दी गई हमारी रिपोर्ट देखें, तथा

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं –

   क. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है –वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40(12) देखें;

   ख. कंपनी को व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू नियमों या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ऐसी कोई संविदा नहीं की गई; तथा

   ग. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को अंतरित करने संबंधी उक्त खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) में की गई अपेक्षानुसार, हमने भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव पर विचार किया है (अनुलग्नक-ग)।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
पुणे
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं.112219W)

पुणे
26 जून, 2020
यूडीआईएन – 20041994AAAABU3409

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक -क

(बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत अनुच्छेद 5 (1) में संदर्भित)

1. कंपनी ने प्रमात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।

   क) कंपनी में इसकी अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम मौजूद है जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन कियाजाताहै।

   ख) इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। हमारे विचार से, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे वास्तविक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

   ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।

2. दिनांक 24.03.2020 से लेकर 17.05.2020 तक कारखाने को बंद रखे जाने के कारण प्रबंधन द्वारा वर्षांत में वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जा सका। कंपनी ने कारखाने को दिनांक 18.05.2020 को दोबारा खोले जाने पर वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन किया और लेखा बहियों और वास्तविक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता की साझेदारियों या अन्य पक्षकारों को कोई कर्ज, रक्षित या अरक्षित, नहीं दिया है । इसलिए, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

4. कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों में निर्दिष्ट व्यक्ति को कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है और गारंटी नहीं दी है ।

5. कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है इसलिए, पब्लिक से स्वीकृत जमा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के अनुपालन का प्रश्न लागू नहीं होता । इसलिए, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (v) कंपनी पर लागू नहीं होता है। ।

6. केंद्र सरकार ने कंपनी को उसके विक्रयावर्त के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत अभिलेख रखने की आवश्यकता बताई है जिसे कंपनी द्वारा रखा गया है। इस संबंध में हम कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र पेशेवर द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर विश्वास करते हैं।

7.

   क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, विक्रयकर, मूल्य वर्धितकर, सीमाशुल्क, सेवाकर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई / प्रोद्भूत राशि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है।

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यथा 31 मार्च 2020 को भविष्य निधि, आयकर, विक्रयकर, मूल्यवर्धित कर, सीमाशुल्क, सेवाकर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय के संबंध में प्रदेय ऐसी कोई अविवादित राशि इस तरह प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है।

   ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर या सीमा शुल्क या संपदा कर या सेवाकर या उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क या मूल्यवर्धित कर या उपकर का ऐसा कोई देय नहीं है जिन्हें नीचे दिए गए टेबल में बताए गए अनुसार सेवा कर को छोड़कर, किसी अन्य विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, विवाद के कारण कंपनी ने निम्नलिखित देयों को जमा नहीं किया है –

क्र.सं.	देय की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2019
1.	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2014-2015	12,62,327
2.	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2016-2017	1,69,18,951
3.	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2015-2016	15,83,123

8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋण पत्रधारकों को देय से ऋण या उधार के चुकतान में कोई चूक नहीं की है।

9. कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर / अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) द्वारा कोई राशि नहीं जुटाया। मीयादी ऋणों का उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया जिनके लिए ऐसे ऋण लिए गए।

10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान इसकी कोई रिपोर्ट की गई।

11. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 में यथा परिभाषित), उक्त अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xii) लागू नहीं होता।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन, जहाँ लागू हैं, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं और ऐसे लेनदेन के विवरणों को लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रु. 100/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 11,65,716 इक्विटी शेयरों को रु. 143/- के प्रीमियम पर अधिकार शेयरों का निजी प्लेसमेंट किया है जिसकी कुल राशि रु. 28,32,68,988/- बनती है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ नकद-इतर कोई लेनदेन नहीं किया है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 कंपनी पर लागू नहीं होता।

16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
पुणे
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं.112219W)

पुणे
26 जून, 2020
यूडीआईएन – 20041994AAAABU3409

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

(बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत अनुच्छेद 5 (2) (एफ) में संदर्भित)

1. **कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

   हमने 31 मार्च 2020 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ("दि कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

2. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

   भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी होता है।इन उत्तरदायित्वों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित, इसके कारोबार को क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से चलाने, कंपनी की नीतियों का पालन करने, उसके परिसंपत्तियों की रक्षा करने, कपटपूर्ण कार्यों तथा त्रुटियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

3. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

   हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में वर्णित अनुसार माना गया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों दोनों पर लागू है, के अनुसार संचालित की है।इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और उसे निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित हैं तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

   हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उनकी प्रचालनीय दक्षता के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, यदि कोई महत्वपूर्ण कमी को तो उसके जोखिम का मूल्यांकन करना और इस तरह मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालनीय दक्षता की जाँच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की जोखिमों, कपट अथवा त्रुटि से, का मूल्यांकन शामिल होता है।

   हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार व्यक्ति करने का समुचित और औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

4. **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

   वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनार्थ, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

   (1) ऐसे अभिलेखों को रखने से संबंधित हैं जो विवेकपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उनके स्वभाव को सटीक और न्याय संगत ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं;

   (2) ऐसे उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सभी लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी अनुमत करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और खर्च प्रबंधन के प्राधिकरण तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

   (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता चलने संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

5. **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों पर प्रबंधन के टकराव या अनुचित प्रबंधन की आशंका, त्रुटिया कपटपूर्ण कार्यों से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन शामिल हैंजिन का पता नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्राक्कलन ऐसे जोखिमों परनिर्भर करते हैं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाते हैं अथवा इन नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर घट जाता है।

6. अभिमत

हमारे विचार से, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंधमें समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2020 को प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
पुणे
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं.112219W)

पुणे
26 जून, 2020
यूडीआईएन – 20041994AAAABU3409

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर प्रतिक्रिया

प्रबंधन की प्रतिक्रिया तथा लेखों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं -

क्र.सं.	निर्देश	प्रतिक्रिया
1.	क्या कंपनी में आई.टी. प्रणाली के माध्यम से अपने सभी लेखा लेनदेनों पर कार्यवाही करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय विहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर आई.टी. प्रणाली के इतर लेखा लेनदेन करने के विहितार्थ बताएँ।	कंपनी में आई.टी. प्रणाली के माध्यम से अपने सभी लेखा लेनदेनों पर कार्यवाही करने की व्यवस्था है। ऐसा कोई लेखा लेनदेन नहीं है जो आई.टी. प्रणाली के इतर किए जाते हैं, इसलिए, वित्तीय विहितार्थ का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण का चुकतान न करने पाने के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना की गई या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताएँ।	लेखा बहियों की हमारी समीक्षा और प्रबंधन के पुष्टीकरण के आधार पर, कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना की गई या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र / राज्य की एजेंसियों की किसी विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित लेखा किया गया / उपयोग किया गया? यदि इसमें कोई विचलन का मामला हो तो बताएँ।	लेखा बहियों की हमारी समीक्षा के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र / राज्य की एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं की।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
पुणे
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं.112219W)

पुणे
26 जून, 2020
यूडीआईएन – 20041994AAAABU3409

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं. No. Insp./BELOP A/cs/2019-20/2020-21

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूरु - 560 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD
BENGALURU - 560 001.

दिनांक DATE: 14 August 2020

To
Shri M. V. Gowtama,
Chairman,
M/s.BEL Optronic Devices Limited,
EL 30, J Block, Bhosari Industrial Area,
Pune – 411 026

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013.

I forward herewith Non review Certificate of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of M/s. BEL Optronic Devices Limited Pune for the year ended 31 March 2020.

It may please be ensured that the Comments are:

(i) printed in toto without any editing;
(ii) placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index;
(iii) Placed before the AGM as required under proviso to Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar V.M.)
Deputy Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bengaluru - 560 001

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BEL OPTRONIC DEVICES LIMITED PUNE FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of Financial Statements of **M/s. BEL Optronic Devices Limited** Pune for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 June 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the Financial Statements of **M/s. BEL Optronic Devices Limited Pune** for the year ended 31 March 2020 under section 143 (6) (a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

14/08/2020

(Santosh Kumar)
Pr. Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru

Dated: 14 August 2020

टिप्पणियाँ

दिनांक 28 फरवरी, 2020 को बेलॉप में आयुध महानिदेशक का दौरा

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ले. जन. एस के उपाध्याय, पीवीएसएम, एसवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एमजीओ (बाएँ से चौथे), श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप (दाएँ से चौथे), श्री राजशेखर एम वी, मुख्य वैज्ञानिक, सीआरएल, बेंगलूरु, बीईएल (दाएँ से तीसरे), ले. कर्नल एम के सिंह (से.नि.), एजीएम (पीएस-आर्मी/सी.ओ.) (बाएँ से तीसरे), श्री नितिन आरे, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), बेलॉप (दाएं से पहले), श्री अनिल दीक्षित, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (उत्पादन), बेलॉप (दाएँ से दूसरे)।

26 अगस्त, 2019 को बेलॉप में संदर्शी योजना के महानिदेशक का दौरा

बेलॉप और संदर्शी योजना निदेशालय, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ले. जन. तरनजीत सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, डीजीपीपी, आईएचक्यू, र.मं. (आर्मी) (दाएँ से चौथे), श्री महेश वी, निदेशक (आर एंड डी), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप (बाएँ से चौथे), श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप (बाएँ से पांचवें)।

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की सहायक कंपनी
सी.आई.एन. U32100PN1990GOI058096
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय – ईएल – 30, 'जे' ब्लॉक
भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे – 411 026 (भारत)
फ़ोन – (020) 27130981 (4 लाइनें)
27130604, 27130220, 27130355
फैक्स - (020) 27130589
ईमेल – info@belop.co.in